अधिकार नहीं है । चार महीने से वहां पर साम्प्रदायिक दुर्भावना चल रही है, रोज वहां पर कत्ले आम हो रहा है । मुख्य मंत्री दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से उत्तर प्रदेश भवन और उत्तर प्रदेश भवन से लखनऊ आते जाते रहते हैं और उनका फाइल देखने का या पत्रावलि देखने का कोई मौका नहीं है । मैंने शुरु में जैसे निवेदन किया उनकी जानकारी में यह है कि एक भी छात्र की मृत्यु नहीं हुई । इन हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करे अपना असर डाले और इस घटना से सम्बन्धित जितने भी परिवार हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए । इसके साथ साथ कम से कम उत्तर प्रदेश में जो निरंकुश शासन चल रहा है वह तभी समाप्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को अपने पद से खुद हटना पड़ेगा और उनको स्वयं ही त्याग पत्र दे देना चाहिये ।

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS DURING THE WEEK COMMENCING MONDAY, THE 17TH AUGUST, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing Monday, the 17th August, 1987, will consist of:—

(1) Consideration and passing of:
(a) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1987.

(b) The Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1987.

(2) Discussion on the Resolutions seeking disapproval of the following Ordinances, together with consideration and passing of the Bills, as passed by Lok Sabha, in replacement of the Ordinances:

(a) The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill, 1987.

(b) The National Security (Amendment) Bill, 1987.

(3) Consideration and passing of the Cine-workers Welfare Fund (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(4) Further consideration and passing of the Prevention of Corruption Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(5) Consideration and return of the Punjab Appropriation Bill, 1987, relating to Supplementary Demands for Grants for 1987-88.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House is adjourned for lunch and again will meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past twelve of the clock.

The House reassembles after lunch at thirtythree minutes past two of the clock, the **Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa)** in the Chair.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 (TO AMEND THE SEVENTH SCHEDULE)

SHRI K. VASUDEVA PANICKER (Orissa): Mr. Vice-Chairman, I move-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Sir, I believe the subject of this Amendment Bill is an extraordinarily important one. My argument for an amendment to the Constitution is mainly two-fold: 1) development and 2) national integration. I feel water resources are perhaps the most important ingredients or components

of development of any country. India, a large country, more than 5000 kms long and as much wide, comprising nearly 80 crore people, is essentially an agrarian country. Around 75 to 80 per cent of the total population of India depends on agriculture as a means of livelihood and the rest of the population depends basically on industry as a means of livelihood. Insofar as the development of India, which is a third-world country, is concerned, its development depends mainly upon the availability of the necessary ingredients. As water is the most important of the ingredients of economic development, either in the agricultural sector or in the industrial sector, the responsibility of this House of looking into this matter and giving importance to the question of water resources being brought on to the Concurrent List is very great. We have floods at some point of time in one part of the country and, at the same time, we have also got drought in another part of the country simultaneously. India being a subcontinent, which is very big and very large in size, is having these two phenomena operating almost simultaneously in the same year. We have got five major rivers, rivers running into hundreds or thousands of kilometres and we have got hundreds of small rivers in each of the States of India. That way India as a nation is tremendously lucky in having plenty of rivers with plenty of water therein. But still, unfortunately, despite the availability of rivers and streams in plenty in India, our country has been facing drought and floods simultaneously or alternately and it is so far the last so many years. This situation, this calamitous situation, is pointing to one sharp question, the question being one of management. The question now is whether our country is having enough of rivers and water and our country is having enough of water resources. My submission on this point is that we have got enough of rivers, enough of water and enough of water resources. Then where do we go wrong? I feel we go wrong where we do not have proper management of the water resources. The modern world is facing the problem of water management. It is not only India which is facing this problem of management of water, but also many other countries of the world which are facing it. So, my submission is that we are concerned with the serious problem of management, management of the water resources that are available today. If the water resources can be managed in such a way that the maximum utility is obtained by proper management of the water resources, then I feel that we would be affluent in every respect and we will make tremendous progress in agriculture and also in industry and our economy will be fast developing. So, I feel and I strongly recommend that the Government of India should be asked by this House to take this question into consideration. The question is about management of water resources. We are at a loss because the water resources that are available in the country are spread across the country into so many States and unfortunately one State is not prepared to give water to the other State. India being a nation, one State within this nation which is blessed with plenty of water resources is not kind enough to accommodate the other neighbouring State which is not blessed with water. This is a very bad situation. This is a very serious situation. The answer to this question will not be available if water resources remain within the State List. It has to be in the Concurrent List and the Government of India has the major responsibility of channelising water resources in every part of the country in such a way that maximum benefit from water is given to each and every State.

Another point is that for centuries only Ganga has been considered as perhaps the most integrating element in India. My submission is that our rivers like Sinduh Ganga and all

[Shri K. Vasudeva Panicker]

these big rivers and all these small rivers should be taken into account and it should be given a different *meaning. The meaning should be* that it is an instrument of integration of the nation into a whole. I don't propose to deal with this point at length. My submission is that in view of integrating this nation and in view of further developing the economy in different spheres. the water resources which are presently in the State list should be brought within the ambit of the Concurrent List. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): This is a Constitutional Amendment Bill and the Law Minister is here.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER: I am simplifying my arguments. I am requesting for this amendment on the following grounds; (1) Water *has become scarce* and *it is giving* rise to inter-State water disputes. (2) States having better water resources are not prepared to share that water with the neighbouring States which are suffering from water scarcity. (3) There is urgent need for some sort of national management of the entire water resources of the country. (4) With a view to making best use of the available water not only for drinking and irrigation, but also for generation and supply of power, this should be done. (5) Under the existing arrangement of national management of water resources, it is not possible because water *is a State subject.* (6) To overcome this difficulty, it is necessary that water should be made a subject in the Concurrent List to enable the Central Government to do the needful where it is necessary. This arrangement will have, at least, twin important and timely results, *viz.* national integration and removing the cause for the inter-State water dispute; besides, maximum use of the available water resources will be possible and will be easy. And No. 7: Proper distribution of water throughout the country will help in fighting the evils of drought and floods as a result of which the country loses valuable foodgrains, live stock, property and even human lives, etc.

With these words, I submit that this Bill be passed.

The question was proposed.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to stoutly oppose this particular Bill introduced by Shri Panicker.

Sir, I would like to remind Mr. Panicker that we are the Members of the Council of States. We are basically here to represent the interests of States. I would have understood to some extent if such a Bill had emanated elsewhere. But it is unfortunate that a Member who is *supposed to represent the intersts of* the States should come forth with such a Bill. Sir, before I go into the merits and the other things of the Bill, I would like to remind the hon. Member that article 17 of the Concurrent List.... (*Interruption*) Entry 17 of the State List is very clear. And if we have a careful look at Entry 17, there is no need for any of the things that have been said by the hon. Member. What does Entry 17 of the State List say: It says: "Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I." That is very important. If we look at Entry 56 of List I, it says: "Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest." And, Sir, precisely that is what is happening. Water is an issue of the ground. Rivers flow in the States.

And the utility for irrigation of such water which flows in the States should be within the powers of the States. And if a particular river flows in more than one State, already there is enough provision available in the functioning of the great Indian democracy. Every project that is prepared by the State Government at present goes to the Union Government, to the Central Water Commission and the other agencies. And it is subject to the scrutiny of the Union Government. And when the permission is given, then that particular project comes into being. Secondly, when they wanted to utilise water for the entire country as a whole, there was no bar, if development of the country is dependent upon the utilisation of water. In fact, in this House and in the other House and in the country as a whole, there has been clamouring that there should be linkage between the Ganga and the Cauvery. One of the great Irrigation Ministers of the Union Government about a decade back or so emphatically stated that the solution for the problems of this country will ultimately rest with the utilisation of water wihch is flowing into the oceans. You should aim that the un-utilised waters of important rivers like the Brahmaputra and the Ganga and so forth should pass through those places where there is scanty rainfall, water resources are less and so on and so forth and they should be got linked to Cauvery. As and when such linkage is possible, as and when such linkage is passing through such areas which are now chronicaly drought-hit, I think the problems which Mr. Panicker referred to would get automatically solved. There is no hurdle, there is no hindrance if such important schemes of development have to be taken up. I see no reason why we have to tamper with the provisions of the Constitution again and again. Already enough damage has been done when one particular subject which was in the State List was transferred to the Concurrent List. Instead of solving the problems, it only created more and more problems, more and more problems of jurisdiction and development. Therefore, it is my earnest hope that the Hon. Member will realise that instead of creating better atmosphere for better utilisation of water, it will only end up in problems. And, thirdly, for argument's sake even if we accept and bring this Entry 17 of the State List into the Concurrent List, how is that going to solve the problem? Does that mean that the entire irrigation potential and the projects will be planned by the Union Government and if the Union Government plans, who will implement them? What is the agency which he is thinking of. Suppose if there has to be a particular project in a particular area which is within a particular State now and if the project proposal is made and if the dam has to be constructed and if the project has to be completed, ultimately where does the facility go? Who will have the land development done? Who will utilise this water and what will be the linkage between the agricultural development of the area and the water development? Ultimately the result is that they will have to request the same State Government. Therefore I see no reason whatsoever at all for bringing about such an amendment to the Constitution and making what is now within the State List, as part of the Concurrent List. There have been many areas, many areas of development which need attention of the Union Government and if Union Government is interested, they can still come forward. They can adopt some of these projects as national projects. Not that there are no instances. Bhakra Nangal project was one which was a State project, but still it was adopted as a Union project—national project. And Thein Dam is the recent example. In fact many of the States have been pressing that the Union Government should consider some of these projects as national projects and help in their execution. Not that there has been no request from the State Gov-

[Prof. Cfl Lakashmanna]

ernments. State Governments to that extent were prepared to share the responsibility of the development of water resources, developmnt of water and irrigation projects with the Union Government. With the existing structure as it is, it is not possible for the Union Government even to come forward with such suggestions. If that is the case, I see no justification whatsoever for such an amendment. I am sure, the Union Government would not like to have such an amendment to the Constitution. I am sure, the Minister of Law is bound to oppose this. Therefore, it is my fervent hope and I appeal to the hon. Member to give a second thought to his amendment and, if possible, withdraw it.

Now, one more aspect has to be looked into; the problem which has been raised by him, namely, disputes arising between two States. Given the goodwill, given the desire to settle issues, there have always been occasions where many inter-State water disputes have been resolved. I can cite any number of them. We are not wanting in examples. Therefore, if there has to be better understanding between States, all that the Union Government has to do is to create favourable conditions where such disputes, as and when they arise, could be settled. The Union Government should not become a party themselves. They should continue to play the role of a mediator. If they continue to play the role of a mediator, the role of one who is trying to solve problems, I see no reason why there should be any problem.

Even from the point of view of national integration about which the hon. Member was so eloquent, I see no problem. How is national integration to be achieved if 'water' is brought into the Concurrent List from the State List? Can the hon. member cite one instance where national integration was in danger on account of 'water' being in the State List? On the other hand, national integration has been affected because of certain other subjects being in the Union List or even in the Concurrent List. Therefore, it has to be very clearly understood that everybody is for national integration; everybody is for national unity. Everybody, is for maintenance of the status of this country. Everybody wants that the high esteem which this country enjoys in the world should be preserved and enhanced. I think, there can be no two opinions on this. No Member of either this side or that side, no Member of this House or outside will ever dispute the need for national integration. However, to link everything to national integration is not desirable. We should not make national integration as a sort of a subject to which everything could be linked. We have to stop that. National integration is a pious thing. National integration is a precious thing and, therefore, we have to safeguard it. Let us not bring in every issue and say that national integration is under threat. Let not anybody doubt that we will not be able to stand for this country as a united force. This country is greater than anybody or anything. Therefore, let there not be any apprehension or doubt or any kind of feeling on the part of anybody that national integration as such is in dispute. On the other hand, trying to see areas where there is no dispute, areas where there is no problem and then try to link them to national integration is not in the interest of national integration itself.

The other question is development. How many projects have been formulated by how many States? A lot of them have come to the Union Government. Even this morning, we had a discussion as to how 21 projects have been deleted on the ground that there has not been compliance on the part of the State Governments to the guidelines that have been given. 3.00 P.M. Even the Minister accepted only today that it is leading price escalation and therefore, causing greater cost to the Exchequer other of the State or of the Union Government. There-

fore, if the programmes or projects formulated by State Governments cannot be cleared by the Union Government in time, how will the Union Government be able to formulate all the projects of all the States? I think it will be a stupendous task and it will be far beyond the capacity of the Union Government even from the point of view of development. If for the sake of bringing about a change something is thrust upon the Union Government, I think no useful purpose would be served. We do want development, we do want a faster rate of growth, we do want to have a situation where the common man in the country gets the benefit out of the fruits of development. And if that is the case, I do not see any convincing reason to suggest that by transferring this water issue from State list to the Concurrent list it will add to the development process as such. The development process can be geared up if the Union Government attended to those major issues which are concerning the nation today in terms of development. Perhaps the growth rate and the development rate in the country could then be faster than what it is today. There is no point in enlarging the scope where we are not able to tackle the situation properly.

Secondly, why do you want to create suspicion in the minds of 25 States in the country? Here I am not talking as one who is coming from this or that State. If there is elucidation of public opinion on this, I am pretty certain that there will be unanimity from almost all the States, whether they are being ruled by this party or that party. Nobody will aprove of this. If you take away water, if you take away this and that, what will be left for the State Government? Already, a State Government functions within a limited area. They are in a position to appreciate and understand the problems of the people in those areas in a better way than the Government which covers much larger area. In fact, it goes against the very principle for which the father of the nation strived throughout his life, namely, the principle of decentralisation. The thrust should have been on decentralisation, to take the power to the smallest unit possible so that there is articulation, there is understanding and there is evaluation of development process within a smaller area. On the other hand if constant attempts are made at centralisation, we will be negating the very principle for which we fought, we attained and we want to sustain. We will be negating the principle for which Mahatma Gandhi strived throughout his life. Therefore, even in the name of philosophy, in the name of basic principles for which this great country struggled to attain independence and subsequently to choose a development path and process will be negated by attempts of this nature. I think decentralisation and decentralisation alone can solve the problems of the people. Any effort in the direction of centralisation of power will always create a condition where there is obstruction between the ideal and the reality. And when this obstruction takes place, there is a possibility of moving away from the ground. There is the possibility of our hovering in the citadels which are far above the reach of those people. Therefore, I once again appeal to the Member to give a cool consideration whether it is amounting to the negation of the very basic principle and philosophy for which his own party stood all through. Since this is negation of the principle of decentralisation, since it does not lead to the development as sought to be made out, since it is nowhere strengthening the forces of national integration, this particular item which is in the State List should not be transferred to the Concurrent List or any other list. I, therefore, appeal to the Government to reject this amendment and appeal to the Member to withdraw it in the interest of better relations between the States and the Union and for a better functioning of democracy with decentralisation in this country. Thank you.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे जल संसाधन संशोधन विधेयक पर बोलने का समय दिया है। श्री वासदेव पनिकर ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं हृदय से इसका समर्थन

[श्री रामचन्द्र विकल]

करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रो० लक्ष्मन्ना मेरे मित्र हैं, बहुत विद्वान हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं। पर उन्होंने प्रस्तावक महोदय से कहा है कि वे इस बिल को विद-ड्रा करें और गवर्नमेंट से कहा है कि वह इसको रिजेक्ट कर दें। यह पहला मौका है जब हमारे विरोधी पक्ष के किसी सदस्य ने प्रस्तावक महोदय से वापस लेने की बात कही है और गवर्नमेंट से रिजेक्ट करने की बात कही है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि प्रो० लक्ष्मन्ना जी ने इस बिल के उद्देश्यों और कारणों को शायद पढ़ा नहीं है। अगर उस ओर वे थोड़ा सा भी ध्यान देते तो यह पाते कि यह विधेयक आज की परिस्थितियों में अति आवश्यक है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में साफ लिखा है कि 'जल देश के विकास और प्रगति के आधार-ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिये इसे पूर्णतया किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए। समवर्ती सूची में विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् जल समूचे समाज के लिये और भी उपयोगी सिद्ध होगा। अतः यह विधेयक, जो जल से संबंधित प्रविष्टि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अन्तरित करना चाहता है, एक ओर राष्ट्रीय एकता लाने में और दूसरी ओर जल संसाधनों के उपयोग और बंटवारे से उत्पन्न अंतर्राज्यीय समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।'

यह सही बात है और इसमें समाजवाद और राष्ट्रवाद की एक झलक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम राष्ट्रवादी होने के बजाय, समाजवादी होने के बजाय व्यक्तिवादी ज्यादा हो रहे हैं, या प्रान्त वादी हो रहे हैं और उससे भी नीचे अगर जायें तो हम क्षेत्रवादी हो रहे हैं और इसलिये प्रो० लक्ष्मन्ना तेलुगु देशम के दायरे से बाहर नहीं आ सके हैं। कभी कभी वे भारत देशम की बात भी करते हैं लेकिन उनकी जो वास्तविकता है वह यह है कि वह तेलुगु देशम से आगे नहीं बढ़ सके हैं। यदि वे उससे आगे बढ़े होते तो वे इस विधेयक का हृदय से समर्थन करते। आज सारे देश के ढांच को अगर आप देखेंगे तो उसमें यही बात है। जब मैं भी व्यक्तिवादी होता हूं तो मुझे अपने से ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता है। मैं गांव का किसान हूं, गांवों की हालत भी जानता हूं। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, जब पानी आता है तो टेल एन्ड पर जो गरीब किसान है उसको पानी नहीं मिलता है। जो ऊपर का किसान है वह पानी काट लेता है और अपने खेतों में पानी लगाता है तो व्यक्तिवादी हम हो रहे हैं यह मैंने स्वयं स्वीकार किया है। यह भावना अच्छी नहीं है। इससे पानी का दुरुपयोग भी होता है और सही बंटवारा भी नहीं होता है। मैं व्यक्तिवाद के विरुद्ध हूं। हम आप समाजवादी होने के बजाय व्यक्तिवादी हो रहे हैं, राष्ट्रवादी होने के बजाय प्रान्तवादी या क्षेत्रवादी हो रहे हैं। मैं यह बात अच्छी नहीं समझता हूं। यह विधेयक जो हमारे पनिकर जी ने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। देश की जो गति है उसको देखते हुए किसी भी विवाद को लें पंजाब और हरियाणा में कितनी तलखी आ गई पानी के सवाल को ले कर के। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे दो देशों में बटंवारा हो रहा हो। दो प्रान्तों की बात नहीं होती किसी भी प्रान्त के अन्दर पानी का झगड़ा हो, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के किसी प्रान्त का झगड़ा हो देश में ऐसी भावना पैदा हो गई है पानी के विवाद को लेकर जैसे दो देशों में युद्ध छिड़ गया हो। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, एक राज्य का पानी यदि दूसरे राज्य को जाएगा तो इससे पूरे राष्ट्र की समृद्धि होगी हम मिल जुल कर समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। यह भावना जरूर कम हो रही है। इस भावना के विपरीत यह विधेयक आया है। गंगा कावेरी योजना को ही ले लीजिये। जब के० एल० राव हमारे सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने एक स्कीम रखी थी कि गंगा का पानी कावेरी तक ले जाया जाए। यह बात लक्ष्मन्ना

जो भी कह रहे थे। यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा तो प्रान्तीय स्तर पर कैसे होगा। यह यदि आज तक हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। यह तो केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव की भावना थी कि गंगा का जल कावेरी तक ले जाया जाए। यह बरसात के मौके पर ही सम्भव हो सकता है बाकी तो गंगा भी सूखी रहती है गर्मी और जाड़े में। बरसात का पानी गंगा का कावेरी तक पहुंचाने में जो खर्च होगा जो योजना बनेगी वह कहने मात्र को अच्छी लगती है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता यह मुझे प्रेक्टीकल नजर नहीं आता लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि ऐसी बड़ी योजनाओं को मिलाया जाए, उस पर यदि खर्च ज्यादा भी हो तो भी राष्ट्र हित में मुझे बुरा नहीं लगता है। आप ऐसी योजनाओं को बनवाएं लेकिन प्रान्तवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर हम जल संसाधनों के उपायों को राष्ट्रीय स्तर पर लें। राज्यों में विवाद होते हैं और केन्द्र को बीच में पड़ना पड़ता है चाहे सीमा विवाद हो, कोई और विवाद हो प्रायः यह देखा गया है कि यह हमारे पंजाब और हरियाणा की ही बात नहीं है दूसरे राज्यों में भी यदि प्रान्त आपस में झगड़ा नहीं सुलझा सकते तो केन्द्र पर छोड़ देना पड़ता है। कई राज्य तो प्रधानमंत्री पर छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से मसले हुए हैं चाहे इन्दिरा गांधी नहर हो या पंजाब और हरियाणा का पानी का विवाद हो मजबूर होकर के जब राज्यों के विवाद आपस में नहीं सुलझते तो केन्द्र पर छोड़ देते हैं। इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए मैं समझता हूं यह विधेयक सही है कि हमारे जल संसाधन केन्द्र स्तर पर होकर के राज्यों के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के अन्दर जल संसाधनों का बंटवारा सही हो। वैसे यह देखना केन्द्र की ड्यूटी भी है और यह जरूरी भी है। राज्य सरकारें भी आपस में यह देखें कि बंटवारे के नाम पर विघटनकारी शक्तियां या ऐसी विचारधारा न पनप पाए जिससे हमारे देश को खतरा हो। चाहे पानी का विवाद हो या कोई अन्य विवाद हो या सीमा विवाद हो इन से देश की क्षति हो रही है। कभी-कभी तो राज्यों में कोयले और कोयला खानों का भी विवाद हो जाता है। ऐसे विवादों का हल यदि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर हो तथा राज्यों में संसाधनों का बंटवारा सही तौर से हो तथा केन्द्र सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी राज्य सरकार का अहित न हो। यह तभी हो सकता है जब केन्द्रीय स्तर पर जल संसाधनों को इकट्ठा किया जाए। आज जैसे दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई है इन दिनों के हालात में अगर केन्द्र के द्वारा योजना चलाई गई होती पीने के पानी की योजना और सिंचाई की योजनाओं में बहुत कुछ सामंजस्य हो सकता था, तालमेल हो सकता था तथा दुर्भिक्ष का मुकाबला बड़ी आसानी से हो सकता था। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मना जी प्रस्तावक से न तो वापिस लेने के लिए कहेंगे और न सरकार से इसे रिजेक्ट करने की बात कहेंगे बल्कि सरकार इस संशोधन को मान ले क्योंकि देश भर के लिए इस विधेयक की उपयोगिता है। आज के जो हालात हैं गवर्नमेंट भी इसे मान कर चले तो इससे सरकार का भी फायदा होगा राज्यों का भी हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री पनिकर जी ने जो यह विधेयक रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जल देश के विकास और प्रगति के आधार ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इसलिए भी पूर्णतया: किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए। समवर्ती सूची में एक विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने के बाद जल समूचे समाज के लिए और भी उपयोगी सिद्ध होगा। यदि यह विधेयक जो जल से संबंधित प्रविष्टि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में

[श्री कल्पनाथ राय]

अन्तरित करना चाहता है तो यह एक और राष्ट्रीय एकता लाने और दूसरी ओर जल संसाधनों के उपयोग और बंटवारे से उत्पन्न अंतर्राज्यीय समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर सूखे की स्थिति है। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी युग में वर्षा न होने के कारण पूरे राष्ट्र में एक सूखे की भंयकर स्थिति पैदा हो गयी है। हमारे मुल्क में जितनी जल सम्पत्ति है वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुकूल उसमें से 85 प्रतिशत पानी समुद्र में बहकर चला जाता है या नष्ट हो जाता है केवल 15 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल अभी हम कर पा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में यदि पानी का इस्तेमाल पूरे राष्ट्र के लिए किया जाये, सिंचाई करने के काम में लाया जाये या बिजली बनाने के काम में लाया जाये तो राष्ट्र में यदि कभी-कभी संकट पैदा हो तो संकट का निवारण भी हम तुरन्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से आज जब राज्यों के बीच में जल को लेकर संघर्ष हो रहे हैं, जल की एक-एक समस्या पर 15–15 साल से केन्द्रीय सरकार के दखल के बावजूद भी उनके विवाद हल नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पानी और बिजली को नेशनल ग्रिड में लाना चाहिए। न केवल बिजली को बल्कि पानी को भी नेशनल ग्रिड, राष्ट्रीय समवर्ती सूची में लाना चाहिए और पूरे राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बिजली का बंटवारा राष्ट्र के द्वारा किया जाना चाहिए।

आज सूखा पड़ा हुआ है। 14, 15, 16 प्रांतों में सूखा है। जब लोग चांद और सितारों पर जा रहे हैं तो ऐसे वैज्ञानिक युग में पानी की उपलब्धता के होते हुए भी मुल्क में सूखे का संकट हो जाये, अनाज पैदा न हो, राष्ट्र संकट की तरफ बढ़ने लगे, मुल्क में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय मेरी यह साफ राय है कि भारत की सरकार को पानी को स्टेट सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डालना चाहिए। इसी के माध्यम से हम अपने राष्ट्र में विकास कर सकते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधाड़य है। यह हमारी जनसंख्या के अधिसंख्यी लोगों का आसरा है। इसमें ही बड़े पैमाने में उत्पादक रोजगार सृजित किया जा सकता है। सफल औद्योगिकरण के लिए आवश्यक कच्चा माल और विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने के निमित्त कृषि का तेजी से विकास जरूरी है। पिछले दशक में कृषि से संबंधित हमारी कार्य नीति में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। हमारी 7वीं योजना में इसे और पुरजोर तरीके से जारी रखना होगा। योजना में कृषि विकास के लिए एक व्यापक आकार नीति की छवि है जिस का उद्देश्य कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की संवृद्धि दर प्राप्त करना है। हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों सहित संस्थागत परिवर्तन लाने होंगे। हमारी कार्यनीति की एक प्रमुख विशेषता पूर्वी क्षेत्र में और शुष्क भूमि क्षेत्रों में हरित क्रांति का विस्तार करना है। इससे हमारे विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम होंगे और गरीबी को दूर करने में सीधे सहायता मिलेगी।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, योजना प्रक्रिया भारत में 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ--तो पं० जवाहरलाल जी ने इसी संसद में कहा था कि हमें आजादी मिली है। हमें हमारी आजादी के माध्यम से भारत की गरीबी को हटाना और हजारों वर्ष से नंगे, भूखे, कंगाल हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनाना होगा। यह हमें जो शक्ति मिल रही है, यह शक्ति इस काम के लिए मिल रही है कि जब तक हिन्दुस्तान में एक भी आदमी की आंख में आंसू हैं, तब तक कांग्रेस को तिरंगे झंडे और हमारी आजादी की लड़ाई का काम जारी रहेगा। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विकास की प्रक्रिया को मजबूत करना होगा।

योजना प्रक्रिया भारत के लोगों को पं० जवाहरलाल नेहरू का बहुमूल्य उपहार था। इन्दिरा जी ने इस कोमल पौधे को बड़े स्नेह और बड़ी सावधानी से बड़ा किया। एक बार इन्दिरा जी ने कहा था कि हमारी योजना सुव्यवस्थित प्रगति का एक घोषणा-पत्र है। यह समय और स्थान एक ऐसा आधार स्वरूप उपलब्ध करती है, जो क्षेत्र को प्रदेशों और राज्यों को एक सूत्र में बांधती हैं और प्रत्येक वर्ष के प्रयत्नों के बाद, वर्षों से संबंध स्थापित करती है। सम्पूर्ण देश के सामाजिक और आर्थिक तंत्र को तथा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के तंत्र को सुदृढ़ करके इससे राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य में सशक्त योगदान मिलता है। योजना प्रक्रिया से विकास से संबंधित हमारी नीति मूल उद्देश्यों कार्य नीतियों और विकल्पों के बारे में व्यापक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में बहुत योगदान मिलता है। इससे राष्ट्रीय आर्थिक नीति के लिए व्यापक जन-समर्थन उत्पन्न हो सकता है।

गरीबी दूर करना, विज्ञान और तकनीकी का अधिकतम संभव उपयोग करके आधुनिक समाज का निर्माण करना, स्वावलम्बी भारत का निर्माण करना, भारत की योजना के मूल उद्देश्य रहे हैं। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछली योजनाओं का अमूल्य योगदान रहा है।

सातवीं योजना इस देश को गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के प्राचीन अभिशापों से मुक्ति दिलाने की राष्ट्रीय आकांक्षा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रभावी योजना का आधार यह होना चाहिए, जिसकी हम भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं, दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदलने और इसे रचनात्मक बनाने के लिए, उसमें एक दीर्घावधि परिपेक्ष में आवश्यकता होती है। इसीलिए सातवीं योजना 15 वर्षों के परिपेक्ष में तैयार की गई है। उद्देश्य यह रहा है कि 2000 ई० तक आप निर्भर हों और समवृद्धि प्राप्त कर सकें, उत्पादन हो और अपनी जनता के लिए खुशहाली की मूल भौतिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जा सकें। (समय की घंटी)

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारी मित्र प्रो० सी० लक्ष्मन्ना जी यहां बोल रहे थे--मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से नंगा, भूखा, कंगाल हिन्दुस्तान जो था वह अब सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कंगाल हिन्दुस्तान नहीं है, भूखा नहीं है, नंगा नहीं है। हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हिन्दुस्तान को आज एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनाया है।

आज हिन्तुस्तान अनाज के मामले में आत्म-निर्भर है। अपनी पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से यह राष्ट्र दुनिया का छटवां स्पेस पावर बना है, छटवां एटामिक पावर बना है, तीसरा टैक्नीकल नो-हाऊ पावर है, चौथा फर्टिलाइजर टैक्नालाजी जानने वाला देश है। यह राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, लेकिन दुनिया के राष्ट्रों के, विशेष रूप से एशिया के राष्ट्रों को मद्देनजर रखते हुए हमें विकास करना है। आज चीन में 400 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हो रहा है और हमारे यहां 155 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है।

इसलिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण चीन को मद्देनजर रखते हुए करना है। हिन्दुस्तान में योजनाओं के माध्यम से हमने विकास किया है। हमारे देश के इतिहास में केवल एक अंधकार का युग आया 1977 और 1980 के बीच में। इस मुल्क के सारे दलों की सरकार बनी, पर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। 1977 से 1980 तक रोलिंग प्लान में देश रोल होता रहा, एकदम उलट-पुलट होता रहा, राष्ट्र का सोना बिक गया, राष्ट्र का विकास अवरूद्ध हो गया, राष्ट्र संकट के दौरे से गुजरने लगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लेकिन उस अंधकारमय युग के

समाप्त होने के बाद 1980 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में) हमारी सरकार सत्ता में आई। फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हुई फिर कठिन परिस्थितियों के बीच में सीमित साधनों के रहते हुए भी हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। आज सारी शक्ति की बुनियाद पानी है। एटामिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन सेठना के अनुसार हिन्दुस्तान में हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जेनरेशन की सब से बड़ी उपलब्धता है। लेकिन हम अपने पानी से बिजली बनाने के काम को साधनों के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। आज देश के एक हिस्से में बाढ़ भी आई हुई है, हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना बने उसमें हिन्दुस्तान में पानी के इस्तेमाल को ही प्राथमिकता दी जाए। हमारे देश का 85 प्रतिशत पानी जो वेस्ट होता है या समुद्र में बह जाता है या नष्ट हो जाता है उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्र के पैमाने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाना चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश भारत के अन्दर प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखा के कारण उत्तर भारत की जनता को इसका शिकार होना पड़ता है। आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि टिहरी डैम का निर्माण, इसके लिए हिन्दुस्तान और रूस के बीच समझौता हुआ है, उसके अनुसार टिहरी डैम का निर्माण जितनी जल्दी कराया जाए उतना ही राष्ट्र के हित में होगा। नेपाल से निकलने वाली करनाली, घघरा, राप्ती, शारदा नदियां जहां नेपाल से हिन्दुस्तान में आती हैं वहां पंचेश्वरी, करनाली और शालू बांधों का निर्माण किया जाए। आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक जेनरेशन के लिए और बाढ़ की विभीषिका से असम और नार्थईस्टर्न एरिया को बचाने के लिए भी डैमों का निर्माण किया जाए। यदि टिहरी डैम, शालू बांध करनाली, पंचेश्वरी, ब्रह्मपुत्र के डैमों का निर्माण किया जाए तो 50 हजार मेगावट बिजली हाईड्रो ईलैक्ट्रिक जेनरेशन होगा आज हिन्दुस्तान में 45 हजार मेगावाट बिजली बन रही हैं। आज हिन्दुस्तान की आबादी लगभग 80 करोड है और 45 हजार मेगावाट बिजली हम बना रहे है। अमरीका की आबादी 25 करोड़ है और 3 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन अमरीका में हो रहा है। किसी भी देश के विकास के लिए बिजली और पानी अत्यावश्यक हैं। हमारे देश में जो 85 प्रतिशत पानी पैदा होता है। भगवान और प्रकृति ने हिन्दुस्तान को धनी और सम्पन्न बनाया है उस पानी का इस्तेमाल वैज्ञानिक ढग से करने के लिए जहां हमें पूरे देश के पानी का नेशनल ग्रिड बनाना चाहिए और प्रदेशों के झगड़ों को सदा-सदा के लिए खत्म करने के लिए हमें पूरे पानी का पूरे हिन्दुस्तान की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। पानी पूरे राष्ट्र का होना चाहिए और उसी पानी से हमें हाइड्रो इलैक्ट्रिक जेनरेशन बिजली भी पैदा करनी चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बिजली के स्रोत जहां थर्मल पावर स्टेशंज हैं, बिजली का स्रोत जहां एटामिक एनर्जी है, वहां बिजली का सब से बड़ा स्रोत हाइड्रो इलैक्ट्रिक जनरेशन भी है जिसकी उपलब्धता हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा है। इसलिए पानी के इस्तेमाल और पानी के उपयोग के प्रश्न पर भारत की सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे मित्र भारद्वाज जी बहुत ही तेज-तर्रार और एक कुशल कानून मंत्री हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच [illegible]): कल्पनाथ जी और भी बहुत बोलने वाले हैं।

श्री कल्पनाथ राय : 10 मिनट और समय दीजिए ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): नहीं दूसरे भी बोलने वाले हैं।

श्री कल्पनाथ राय : केवल दस मिनट और दीजिए प्राइवट मेम्बर्ज डे है।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): अभी दे चुका हूं। . . . **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय इसमें मेरा आपसे निवदन है, मैं सरकार के कानून मंत्री जी से यह निवदन करता हूं कि वह कैबिनेट के अन्दर इस बात का प्रस्ताव करें कि हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय

योजना बनेगी उस आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी प्राथमिकता हिन्दुस्तान के पानी के इस्तेमाल को होना चाहिए । हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि है कृषि पर ही हिन्दुस्तान का आर्थिक ढांचा खड़ा है । हिन्दुस्तान के सात लाख गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, कृषि और गांव दोनों के विकास के बिना हिन्दुस्तान का विकास संभव नहीं है । उस विकास को प्राप्त करने के लिए जहां हमें अपने मुल्क की 36 करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई की गारण्टेड व्यवस्था करनी होगी और वहां हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता कराके ग्रामीण उद्योग को प्राथमिकता दिलानी होगी । इसी के माध्यम से आर्थिक नींव को हम मजबूत बनाएंगे और तभी हम औद्योगिक नींव को भी मजबूत बनाएंगे जिससे राजीव गांधी के सपनों का एक शक्तिशाली हिन्दुस्तान इक्कीसवीं शताब्दी में बना सकेंगे ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी के शब्दों में हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय कठोर परिश्रम, राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर हमें समाजवाद के अतीत को सामने रखकर, आजादी की लड़ाई के इतिहास को सामने रखकर भविष्य के सुहावने दिन का निर्माण करना होगा ताकि हिन्दुस्तान विश्व के विकास और विश्व की शांति के लिए मजबूती के साथ आगे आ सके । धन्यवाद ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I appreciate the spirit in which Mr. Vasudeva Paniker has moved this Motion. (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : अरे हिन्दी में बोलिए न ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Does Mr. Paniker only understand Hindi?

श्री कल्पनाथ राय : हिन्दुस्तानी में बोलिए नहीं तो देश का विकास नहीं हो सकेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : कल्पनाथ जी जबरदस्ती नहीं कर सकते ।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : मिस्टर वाइस चेयरमैन साहब, मैं कल्पनाथ जी की बात रखते हुए उर्दू में बोल लूंगा । मैं श्री वासुदेव पनिकर के उस सुझाव को जो उन्होंने रखा है, उसकी स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए समझता हूं कि उन्होंने जिस स्पिरिट से इस बिल को लाया है, वह स्पिरिट यह है :—

That is, on the one hand, forge national integration and on the other try to reduce the inter-State problems arising out of use and sharing of waters.

यह जो उन्होंने फरमाया है, बिल्कुल सही फरमाया है और नेशनल इण्टीग्रेशन की बहुत सख्त जरूरत है । न सिर्फ पानी के हालात में बल्कि हमें कम्यूनलिज्म मिटाने के लिए, दूसरी चीजों को मिटाने के लिए यह सब नेशनल इण्टीग्रेशन की जरूरत है । मगर मैं समझता हूं कि पनिकर साहब ने बिल पेश करने के वक्त तमाम इस आइन को देखा नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि समझा नहीं है, मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा नहीं है, आइन जो हमारा हिन्दुस्तान का है, उसमें पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि India, that is Bharat, shall be a Union of States.

हमारा यह जो मल्क है, यह फेडरल स्ट्रक्चर है । इसलिए इस फेडरल स्ट्रक्चर के मुताबिक इस कानून ने हमें अख्तियारात दिया है कि स्टेटस को कौन से अख्तियार दिए जायें, और सेंटर को कौन से अख्तियार दिए जाए और यूनियन कंनकरेण्ट लिस्ट में कौन से अधिकार दिए जाय । हैरानी की बात होगी शायद, मैं शायद गलत कहूं तो माननीय मंत्री जी मुझे ठीक करेंगे कि आजकल सरकारिया कमीशन करीब दो साल से इन मामलात पर गौर कर रहा है, जो मुख्तलिफ अन्जुमनों की तरफ से, मख्तलिफ स्टेटस की तरफ से आइन में तरमीम करने के लिए पेश की गई है । मेरे ख्याल में मैं अपनी इत्तला अखबारी इत्तलात के आधार पर रखता

हूं, मेरी इत्तला के मुताबिक किसी ऐसी स्टेट ने या किसी ऐसी संस्था ने कांग्रेस समेत यह नहीं कहा है कि वाटर को, पानी को हम कंकरेण्ट लिस्ट में लाएंगे । यह इस आइन में इतनी जमानत दी गयी है या किसी पार्टी ने कि मेरे ख्याल में किसी रियासत ने या किसी पार्टी ने उसको जरूरी नहीं समझा कि इस चीज के लिए इसको तरमीम में करने की जरूरत है ।

जनाब वायस चेयरमैन साहब, इस सिलसिले में थे दो-तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं । पहली बात जो थे कहना चाहता हूं वह है कि स्टेट लिस्ट के तहत अख्तियार क्या है? स्टेट लिस्ट की 17वीं दफा के मुताबिक—

"Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I."

अब इस चीज के लिए एक रियासत में वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए, कैनाल के लिए, ड्रेनेज के लिए, एम्बेकमेंट के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए अख्तियारात इतने साफ हैं कि इसमें तरमीम करने की जरूरत नहीं है । अब झगड़ा वहां पैदा होता है जहां कि मुल्क की दो रियासतें किसी चीज से मुत्तफिक न हों । उसके लिए भी आइन ने बहुत साफ तरीके से दफा 56 की जो यूनियन लिस्ट है उसमें लिखा गया है । इसे मैं पढ़ना चाहता हूं—

"Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

इसका मतलब यह है कि अगर आपके कर्नाटक में वाटर सप्लाई करना है तो वह तो स्टेट करेगी, मगर अगर कर्नाटक और आन्ध्र का झगड़ा है तो आइन ने कहा है कि यह स्टेट लिस्ट में नहीं होगा बल्कि जैसा कि मैंने कहा—

"Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए । मगर आइन ने इसकी भी पाबंदी की है । मैं पाणिग्रही साहब की तवज्जह आइन की दफा 262 की ओर दिलाना चाहता हूं जिस भावना से आपने कहा है कि किन्हीं दो स्टेट्स का झगड़ा पैदा होता है । इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि यूनियन लिस्ट की दफा 56 काफी है । इसके बावजूद भी आइन ने और मजबूत धारा दी है और वह है सेक्शन 262 वह क्या है—

"Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys. (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley."

तो आइन की धारा–262 में यह मुकम्मल अख्तियार दिया गया है कि स्टेट और सेंट्रल के जहां भी झगड़े पैदा होते हैं पार्लियामेंट कानून बना सकती है । यह तो आपकी सेंट्रल लिस्ट में है । कंकरेंट लिस्ट में तो स्टेट भी कानून बना सकता है, लेकिन आपके पास दफा 262 में गुंजाइश है जिसमें सेन्टर को इससे भी ज्यादा अख्तियार है।

यहां तो सट्रल डिक्टेटर बन गया है। दफा 262 की धारा 2 के तहत लिखा गया है —

"(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliamentary may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1)."

क्लाज 1 के तहत जो कोई डिस्प्यट वगैरा हो उसके लिए पार्टियां सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकतीं, हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकतीं इतना अख्तियार आपकों आइन ने दे दिया है इस मसले को हल करने के लिए। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि यह जो आपने संशोधन पेश किया है, उसको आप वापिस ले लीजिए क्योंकि आइन में इतना प्रोविजन है कि ये तमाम मामलात उसके तहत निपटायें जा सकें।

†[شری غلام رسول منٹو : مسٹر وائس چیرمین صاحب - میں کلپنانہ جی کی بات رکھتے ہوئے اردو میں بول لونگا -

میں شری واسدیو پنی کرکے اس رکھا ہے، اسکی اسپرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے سجھاؤ کو - و انہوں نے جس اسپرٹ سے اس بل کو لایا ہے - وہ اسپرٹ یہ ہے :

That is, on the one hand, forge national integration and on the other, try to reduce the inter-State problems arising out of use and sharing of waters.

یہ جو انہوں نے فرمایا ہے - بالکل صحیح فرمایا ہے اور نیشنل انٹیگریشن کی بہت سخت ضرورت ہے - نہ صرف پانی کے حالات میں بلکہ ہمیں کمیونلزم مٹانے کیلئے دوسری چیزوں کو مٹانے کیلئے - یہ سب نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت ہے - مگر میں سمجھتا ہوں - کہ پنی گر صاحب نے بل پیش کرنے کے وقت تمام آئین کو دیکھا نہیں ہے - میں نہیں کہہ سکتا کہ سمجھا نہیں ہے - میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے - آئین جو ہمارے ہندوستان کا ہے - اسمیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہئے کہ

India, that is Bharat, shall be a Union of States.

ہمارا یہ جو ملک ہے - یہ فیڈرل اسٹرکچر ہے - اسلئے اس فیڈرل اسٹرکچر کے مطابق اس قانون نے ہمیں اختیارات دئے ہیں - کہ اسٹیٹس کو کون سے اختیارات دیئے جائیں - اور سینٹر کو کے حق میں کونسے اختیار دیئے جائیں- اور یونین کنکرنٹ لسٹ میں کون سے اختیار دیئے جائیں - حیرانی کی بات ہوئی شاید - میں شاید غلط کہوں تو مان نئے منٹوی جی مجھے تھیک کرینگے کہ سرکار یا کمیشن دو سال سے ان معلومات پر غور کر رہا ہے - جو مختلف ایجنسوں کی طرف سے مختلف اسٹیٹس کی طرف سے آئین میں ترمیم کرنے کیلئے پیش کی گئی ہیں -میرے خیال میں میں اپنی اطلاع اخباری اطلاعات کے آدھار پر رکھتا ہوں - میری اطلاع کے مطابق کسی ایسی سنستھا نے کانگریس سمیت وہ نہیں کہا ہے کہ واٹر کو - پانی کو ہم کنکریٹ لسٹ میں لائینگے - یہ اس آئین میں اتنی ضمانت دی گئی ہے کہ میرے خیال میں کسی ریاست نے یا کسی پارٹی نے اسکو ضروری نہیں سمجھا کہ اس چیز کیلئے اسکو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے -

† [ ] Transliteration in Arabic script:-

[شری غلام رسول ملتو

جناب وائس چیرمین صاحب - اس سلسلے میں میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں - پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں - وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لسٹ کے تحت اختیار کیا ہے - اسٹیٹ لسٹ کی ۱۷ ویں دفعہ کے مطابق :

"Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I."

اب اس چیز کیلئے ایک ریاست میں واٹر سپلائی کیلئے اریگیشن کیلئے - کینال کیلئے - ڈرینیج کیلئے - ایمبنکمنٹ کیلئے - واٹر اسٹوریج کیلئے اختیارات اتنے صاف ہیں کہ اسمیں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے - اب جھگڑا وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ملک کی دو ریاستیں کسی چیز سے متفق نہ ہوں - اسکے لئے آئین میں بہت صاف طریقے سے دفعہ ۵۶ کی جو یونین لسٹ ہے اسمیں لکھا گیا ہے - اسے میں پڑھنا چاہتا ہوں :-

"Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

اب اس سے زیادہ اور کیا چاہئے- مگر آئین نے اسکی بھی پابندی کی ہے - میں پنڈی گڑھی صاحب کی توجہ آئین کی دفعہ ۲۶۲ کی طرف دلانا چاہتا ہوں - جس بھاونا سے آپ نے کہا ہے کہ کن ہی دو اسٹیٹس کا جھگڑا پیدا ہوتا ہے - اسکے لئے میں نے آپ سے نویدن کیا

کہ یونین لسٹ کی دفعہ ۵۳ کا ہی ہے - اسکے باوجود بھی آئین نے اور مضبوط دھارا دی ہے - اور وہ ہے سیکشن ۲۶۲ وہ کیا ہے -

"Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys. (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley."

تو آئین کی دھارا ۲۷۲ میں یہ مکمل اختیار دیا گیا ہے - کہ اسٹیٹ اور سینٹرل کے جہاں بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے - یہ تو آپکی سینٹرل لسٹ میں ہے کنکریٹ لسٹ میں تو اسٹیٹ بھی قانون بنا سکتا ہے لیکن آپکے پاس دفعہ ۲۶۲ میں گنجائش ہے جسمیں سینٹر کو اس سے بھی زیادہ اختیار ہیں یہاں تو سینٹر ڈکٹیٹر بن گیا ہے - دفعہ ۲۶۲ کی دھارا ۲ کے تحت لکھا گیا ہے -

"Notwithstanding anything in this Constitution vide Parliament may be law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1)".

کلاز ۱ کے تحت جو کوئی تنازعات وغیرہ ہو سکے لئے پارٹیاں سپریم کورٹ نہیں جا سکتیں - ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتیں - اتنا اختیار آپکی آئین نے دیدیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے - ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو سنشودھن پیش کیا ہے - اسے کو آپ واپس لے لیجئے کیونکہ آئین میں اتنا پرووژن ہے یہ تمام معاملات اسکے تحت نبٹائے جاسکیں-]

Sir, I would request the honourable mover of this Bill to withdraw this Bill.

I quite appreciate that the Bill wants national integration. But we all should think of national integration not only in terms of water, but also in terms of communal holocausts which occur in the country. But as a layman I must tell him—and I think the honourable Minister of State for Law also would amplify at the end of this debate that there is no room for any dispute in any form whatsoever because the Constitution has given so many powers to the Centre. If there has been any dispute between one State and other, it is not because there is no law to deal with the dispute, but it is because of lack of initiative on the part of the Centre or the State concerned and it is because of this only that they have taken recourse to the jurisdiction of the Centre in this respect.

Sir, with these observations, I would most humbly request the honourable mover of the Bill to withdraw it.

I would request you, Mr. Paniker, to withdraw this Bill Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, Dr. Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय मित्र श्री वासुदेव पनिकर जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने कहा है कि जल देश के विकास और प्रगति के आधारढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे पूर्णतया किसी राज्य के अधिकार-क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए । समवर्ती सूची में विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् जल समूचे समाज के लिए और भी उपयोगी सिद्ध होगा । अतः यह विधेयक, जो जल से संबंधित प्रविष्टि को राज्य सूची में अंतरित करना चाहता है । एक ओर राष्ट्रीय एकता लाने में और दूसरी ओर जल संसाधनों के उपयोग और बंटवारे से उत्पन्न अन्तर्राज्यीय समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा ।

मान्यवर, जल जीवन है । हिन्दी में के एक बड़े नीतिवान कवि रहीम ने कहा है :

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून ।
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानस, चून ।।

चूने का पानी मर जाए तो वह बेकार हो जाता है, मोती का पानी चला जाए, तो वह पत्थर हो जाता है और इंसान का पानी चला जाए तो वह कुछ नहीं रह जाता है । इसलिए पनिकर जी ने जो जल की राष्ट्रीय समस्या से संबधित प्रस्ताव रखा है, उसका अपना महत्व है ।

महोदय, यह देश हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के आगे तक बढ़ा हुआ है । बचपन में छात्रावस्था में मैंने एक कविता पढ़ी थी पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की :

जिसका मुकुट हिमालय, जिसका चरण निरंतर,
रत्नेश धो रहा है ।
नदिय जहां सुधा की धारा बहा रही हैं,
सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है?

महोदय, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो गांवों में बसता है । आज भी गांवों की संस्कृति, गावों की सभ्यता हमारे देश में निराली है । आज आधुनिकता के विकास के रूप में, आज सभ्यता के वैज्ञानिक विकास पर गौरवान्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर है । स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपने-अपने सुख के लिए खिलौने की तरह से सारे लोग बने हुए हैं और सब का सिद्धान्त पैसा हो गया है । ऐसी स्थिति में मानवीय मूल्यों का क्या होगा, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है ।

श्रीमन्, मैं गांव का रहने वाला हूं । वाराणसी से मेरा संबंध है । अभी सूखा पड़ा है और उस सूखे की स्थिति में देश की जो रिपोर्ट पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने वचन दिया है कि देश में कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में, पानी के अभाव में नहीं रहेगा । इस सूखे की स्थिति में न कोई जानवर चारे के अभाव में अपना दम तोड़ेगा,

[डॉ० रत्नाकर पाण्डेय]

उसके लिए बड़ी तेजी से हमारे सूखा नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी दो बार बनारस गये । हमारे जिले में 4,839 गांव प्रभावित हैं । सूखे से पीड़ित व्यक्ति 36,64,459 हैं प्रभावित क्षेत्रफल 2,46047 हैक्टेयर भूमि है । खरीफ की फसल जो बोयी गयी है उसका क्षेत्रफल है 80,554 हैक्टेयर और बिना बोयी का क्षेत्रफल है 1,65051 हैक्टेयर । जिले में सामान उत्पादन 3.33 लाख मीट्रिक टन होता है जबकि सूखे के कारण केवल 1,80,000 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है । यह मेरे जिले की स्थिति है । पूरे देश की भी यही स्थिति है । 45 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

काश हमारे निर्माताओं ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद जो प्लानिंग की उसमें सोचा होता कि जो देश तीन-तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जिसका मुकुट हिमालय है और गंगा, यमुना, रावी, कावेरी जितनी भी नदियां हैं सब हिमालय के मस्तिष्क से प्रभावित होती हैं । शंकर की जटाओं से निकल जल बिन्दू इस देश की नदियां बनती हैं । वही आज हम देखते हैं कि सिंचाई के अभाव में कई तरह की सिंचाई योजनायें चलती हैं इस देश की मूल समस्या आर्थिक दृष्टि से सिंचाई और बिजली की है और सड़कों की है । सिंचाई के क्षेत्र में हम जानते हैं कि बड़े-बड़े इंजीनियर्स स्टेट्स सब्जेक्ट होने के कारण सारी योजनाएं हड़प जाते हैं । अभी दो महीने पहले चकिया ब्लाक में बनारस जिले की मीटिंग हुई । ब्लाक प्रमुख से लेकर एम० एल० ए० तक सब ने रिटन में लिख कर दिया है कि 50 लाख रुपए का घोटाला चन्द्रप्रभा डिवीजन के सहायक इंजीनियर ने किया है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा कि ट्रांसफर हो जाए । मैंने सोचा कि हमेशा के लिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करो इस कारण गृह मंत्रालय के श्री चिदम्बरम् को पत्र लिखा था । उन्होंने तत्काल आदेश दिया विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाये लेकिन विजिलेंस, अंडर सेक्रेटरी का पत्र आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह मामला भेजा जा रहा है । अगर उत्तर प्रदेश सरकार ही इस मामले में सक्षम होती तो इस भ्रष्टाचार के मामले को क्यों गृह मंत्रालय को भेजा जाता यह मैंने उनसे कहा था । फिर मैंने कड़ाई से लिखा तो जवाब आता है कि स्टाफ हमारे पास नहीं है, बहुत सी जांच पड़ी हुई हैं । यह व्यवस्था करनी चाहिए ।

क्योंकि जल जो हमारा जीवन है, विद्युत जो हमारे प्रकाश का कारण है इसमें जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें कड़ी से कडी सजा देनी चाहिए । हमारे गृह राज्य मंत्री श्री पाणिग्रही जी बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह सतर्कता विभाग को ठीक करें । वह अपने हाथों से ऐसा काम करे ताकि जनता को पानी मिल सके । नहरों में पानी रहता है लेकिन बंद कर देते हैं । मुझे विश्वास है हमारी सरकार इसको करेगी । मैं इसलिए कह रहा हूं हमें तीन तरफ से पानी मिलता है । एक तो सरफेस के ऊपर... (*समय की घंटी*) इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा समय है । दे दीजिए । मैं निर्धारित समय में ही बोलूंगा । सात मिनट और बोलूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): आप सबजेक्ट पर ही कन्फाइन कीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं यह कहा रहा था कि एक तो सरफेस पर जल है, चाहे समुद्र का जल हो और चाहे नदियों का जल हो और दूसरा जमीन के नीचे जल है जो हम ट्यूबवेल्स के माध्यम से निकालते हैं और तीसरा पहाड़ों पर जल है । इन तीनों जलों को मिला करके एक विराट योजना हम को बनानी चाहिए। अगर बिहार में सूखा पड़ा है तो आन्ध्र पानी दे सके इस तरह की योजना हमें बनानी चाहिए । एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए इरीगेशन का और उस नेशनल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन बिना केन्द्रीय सूची में रहे हुए, स्टेट सब्जेक्ट बना कर नहीं कर सकते । इसको हमें केन्द्रीय सूची में लाना पड़ेगा । जहां तक जल की बात है विद्युत भी उससे ही

उत्पन्न होती है। हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं, योग्य हैं और अभी मैं उलट रहा था अपनी जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को, अन्तर राज्य जल विवाद जो है हर जगह है। चाहे कावेरी जल विवाद हो चाहे तेलगू गंगा की योजना का विवाद हो, स्थिति यह है कि एक स्टेट मांग करता है, दूसरा नहीं देता है। हमने इसी जल विवाद के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को खो दिया। हरियाणा और पंजाब की जल की जो समस्या है, वहा पर जो जल का विवाद है; उस के मूल में आतंकवाद पनपा है। जैसा हम पढ़ते हैं, लोगों का बयान सुनते हैं, अगर यह जल की समस्या हल हो जाती तो आज विश्व की नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हम वंचित नहीं रहते। इस समस्या को हल करने के लिए श्री पनिकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नदी जीवन और जल की शक्ति है। हमारे यहां देव नदी गंगा नदी को माना गया है। उसे सूर, मुनि, धुनि, कन्या कहा गया है। शंकराचार्य ने कहा है —

देवि सुरेश्वरी भगवति गंगे,
त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे,
शंकर मौलि निवासिनि विमले,
मम मति रास्तां तव पद कमले,
भागीरथि सुखदायिनी मात :
तव जल महिमा निगमे स्थात:
तव जननल येन निवीतं,
परम पदं खतु तेन गृहीतं,

तुलसी ने कहा है :

शुभ अरु अशुभ सलिल तेहि पहई,
सुरसरि कयउ अपुनीत न कहई।

नदी के नीचे जल है, चाहे धरती के ऊपर जल है, एक विराट योजना बनाई जानी चाहिए और उस जल के माध्यम से हम आपूर्ति करें उन सब तत्वों की जिनकी आज हमें आवश्यकता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए पानी के संबंध में हमारी सरकार ने योजनायें बनाई हैं। लेकिन इस दिशा में और भी प्रयत्न करने की अपेक्षा है।

हमारी गंगा नदी इलाहाबाद से बहते हुए पटना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। वहां पर यह विराट रूप ले लेती है। सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में फ्लड कन्ट्रोल के लिए पौने आठ अरब रुपए स्वीकार किए हैं। किसान बाढ़ को देखकर निहारता रह जाता है। दूसरी तरफ वह सूखे से पीड़ित रहता है। उसके लह-लहाते हुए खेत और फसल गंगा की बाढ़ में बह जाते हैं, उसके पशु बह जाते हैं; उसका बिस्तर बह जाता है, उसकी खाट बह जाती है और स्वयं वह भी बह जाता है। किसान के सामने टुकुर-टुकुर देखने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं रह जाता है। फ्लड कंट्रोल की योजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वांचल के लिए, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई हैं। मैं चाहूंगा कि मानवीय दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से और इंसानियत की दृष्टि से इन योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। इसमें विरोधी दलों और कांग्रेस का सवाल नहीं है। जो विभिन्न तरह के विवाद जल के स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण उत्पन्न होते हैं उनको समाप्त करना चाहिए और सचमुच में इस राष्ट्र के पानी और जल को हम विद्युत बनाकर उसके माध्यम से सिंचाई कराकर, पीने के पानी की अभी जो दुर्व्यवस्था है उसके लिए सफिसिएन्ट पानी देकर इस राष्ट्र के पानी को रखें और पानी जब हमारा रहेगा तो हमारी राष्ट्रीयता भी रहेगी और तब हम विश्व में इक्कीसवीं शताब्दी में दुनियां के सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में प्रवेश करेंगे, सबसे अधिक शक्तिशाली हो कर प्रवेश करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि सरकार का इस ओर ध्यान है और बड़ी तेजी से अनेक नई-नई योजनाएं बना रही है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता ली जा सकती है। दुनियां के देश सहायता के लिए तैयार हैं, वर्ल्ड बैंक धन देने के लिए तैयार है। सिर्फ डिटरमिनेशन की कमी है, संकल्प की कमी है। इसलिए आइये, हमारे देश में जो जल की कमी है उसको समाप्त करने के लिए हम ऐसी योजनाएं बनायें, उनको

[डा० रत्नाकर पण्डेय]

केन्द्रीय और समवर्ती सूची में रखकर जल की समस्या का हल करें। जो छोटे-छोटे विवाद हैं और जो बड़े-बड़े विवाद बन जाते हैं उनको समाप्त करें। प्रोपर वे में योजनाओं का कार्यान्वयन करें जिससे हम गरीबों और आदिवासियों को पानी दे सकें। लेकिन यह काम हम तभी कर सकते हैं जब पानी हो। सिर्फ कागज पर योजनाओं से काम नहीं चलेगा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझ खुशी है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 7368.83 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। वहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11555.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ इस राष्ट्र की महिमा, गरिमा, राष्ट्रीयता और विश्व के पिछड़े हुए देशों, गरीब देशों के 70 प्रतिशत लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदा रहने वाले इंसान हैं, उनका नेता भारत है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उस मानवता का जब हम घर में दीपक जलायेंगे, घर को सुखी रखेंगे, जल देंगे, प्रकाश देंगे, उद्योग देंगे, शक्ति देंगे, साधन देंगे, तब जाकर इस देश की महिमा और गरिमा विश्व में सर्वोत्तम होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी। भारत विश्व में गुरु का स्थान रखता है। भारत दुनियां का गुरु था, चाहे बुद्ध के अनुयायी हों, चाहे शंकराचार्य के अनुयायी हों, चाहे मुस्लिम हों और चाहे क्रिश्चियन हों भारत सब का गुरु रहा है। उसका लक्ष्य है :

विश्व के विद्युतकण जो व्यस्त,
सकल बिखरे हैं हों निरुपाय,
समन्वय उनका करें समस्त
विजयनी मानवता बन जाय।

उस मानवता को विजयनी बनाने के लिए जल का कांकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में रखने का जो पनिकर जी का प्रस्ताव है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका भी बहुत कृतज्ञ हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I request the hon. Members to take note of the bell also. Otherwise it is of no use and why should we give the bell then? We should follow some restrictions in our speeches.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): The trouble with them is that they cannot finish their speech without mentioning the name of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, I am very happy that Mr. Panicker has moved an amendment to our Constitution and that has given me an opportunity to place some of my views on the subject before the House. I am going to be brief but I do believe and very firmly believe that natural resources belong to the whole of the country and not to a particular State. The States are there for the purpose of administration but so far as the resources are concerned, they belong to the whole of the country.

Sir, it may be energy, it may be water, it may be minerals, all that belongs to our country. If we talk in terms of a State, then how are we a nation? I do believe that the time has come when we have to take some hard decisions. After all we are wedded to socialism and what does socialism mean? It means that whatever you have you should distribute equitably but today what do we see? In many parts of our country the farmers, especially poor farmers, they are poor because they are not getting the facility and that is why they are poor. Should we go to uplift them or not? Himalayas is the source of water. Sometimes in future somebody may ask that the flow of water from the Himalayas is only to some States and so it belongs to those States only. I will never agree to such a proposition. The time has come when we have to see about this whole approach. The Narmada project took 20 years. We have lost production for 10 to 15 years. Are we going to allow it?

Sir, as I stated initially, the resources are to be distributed equitably. Whatever resources are there in our country, they belong to the people of this country and they should be shared equitably. Our sorrows and our joys, everything, is to be

distributed equally and that is why I am happy that this kind of an amendment has been brought forth. Government will have to take this into account.

4.00P.M. Our resources are for development. Such a development has to take care of all sections of the people in all parts of the country and not a particular part or a particular set of people. That is why, I fell very strongly that as far as water resources are concerned, the matter has to be decided by the Centre in the interest of all the people and not a particular part of the country or a particular set of people or a particular State. The question has to be decided keeping in view the interests of the whole nation. If this is done, so many problems can be solved. A number of inter-State water disputes are there. Why should there be so many disputes? The water resources do not belong to any particular State. They belong to the whole country. Therefore, there cannot be any ground for dispute. If this is to be achieved, we have to announce that energy, water, mineral resources etc. belong to the country as a whole and these have to be distributed in such a manner that the poorer sections of the people get the benefit out of this. I do not want to take much time. I welcome this amendment. This should be adopted so that we can think of the future. For future purposes, if we think on these lines, all problems can be solved and our country can be developed in the way our people want it to be developed. We have to see that the poorer sections get the benefit and this can only be done if a national policy and not otherwise. With these words, I support this amendment to the Constitution.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री वसुदेव पनिकर जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्यों और कारणों में उन्होंने कहा है कि एक ओर राष्ट्रीय एकता लाने में और दूसरे ओर जल संसाधनों के उपयोग और बंटवारे से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। पनिकर जी ने जिस भावना से इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया उस भावना का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन मुझे शक है कि इस संशोधन विधेयक से उस भावना की पूर्ति हो पाएगी।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए।]

जिस समय संविधान निर्मात्री सभा में इस विषय पर बहस चल रही थी उस समय तीन प्रकार की सूचियां बनी थी। एक सूची बनी थी यूनियन लिस्ट, दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी राज्य सूची। पानी के संबंध में यह जो विधेयक है उसका प्रावधान उस समय राज्यों की सूची में रखा गया था। क्योंकि संविधान बनाने वालों की मंशा यह थी कि बहुत से ऐसे क्षेत्र होने चाहिएं जिनमें केवल राज्यों के अधिकार होने चाहिये और इसलिए पानी के विषय में राज्यों को अधिकार दिया गया था। मेरा भी ऐसा विचार है कि अगर यह संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो इससे राज्यों के अधिकारों पर प्रहार होगा और जो महात्मा गांधी की सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति थी उस पर भी कुठाराघात होगा। इसलिए संविधान में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी हैं कुछ मामलों में केवल केन्द्र को अधिकार होगा, कुछ मामलों में केवल राज्यों को अधिकार होगा और कुछ विषयों में जो समवर्ती सूची है केन्द्र और राज्य दोनों को अधिकार होगा। लेकिन उस विषय में जब विधेयक आएगा क्योंकि केन्द्र सरकार सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए समवर्ती सूची में जो केन्द्र सरकार विधेयक लाएगी वह सर्वोपरि होगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जैसे हमारे रत्नाकर पाण्डेय जी भी कह रहे थे पंजाब और हरियाणा के विवाद के सिलसिले में सतलुज यमुना लिंक केनाल का जो मामला है उस समझौते में भी इस बात की चर्चा की गई थी पंजाब समस्या के सिलसिले में जो समझौता हुआ उस में भी अकार्ड में एक बात तय की गई थी कि कुछ समय के अन्दर सतलुज यमुना लिंक केनाल बन कर पूरी हो जाएगी। यह समझौता हुआ था जुलाई 1985 में लेकिन वह नहर आज तक पूरी नहीं हुई। तो यह संशोधन विधेयक पारित भी हो जाता

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

तो कम से कम पंजाब समझौते के दौरान उसको कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । मैं इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि एक प्रावधान है हमारे संविधान में जिसके अन्तर्गत राज्यों का पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में जब विवाद उत्पन्न होता है और जब विवाद उत्पन्न हुआ तो प्रधानमंत्री ने स्वयं समझौता किया संत लौंगोवाल से । लेकिन क्या कारण है कि जो समझौते की यह धारा थी उसका आज तक कार्यान्वियन नहीं हो सका । तो केवल संशोधन कर देने से ही वह मंशा पूरी नहीं होगी । इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस ओर भी केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पंजाब की एक ऐसी समस्या है जो कि वास्तविक रूप से जैसे पनिक्कर जी ने ध्यान आकर्षित किया कि हमारे देश की राष्ट्रीयता और अखंडता पर खतरा है । सारे लोगों को अपने भेदभावों को, राजनीतिक भेदभावों को भुलाकर पंजाब की समस्या का समाधान करना चाहिए । लेकिन किसी कारणवश जो अन्तर्राष्ट्रीय तत्व हैं जो देशद्रोही हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की उन्नति हो जो नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग अपनी जिंदगी शांति से गुजर-बसर कर सकें वे लोग इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होने देना चाहते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा है तो इस सिलसिले में भारत सरकार को पंजाब और हरियाणा में जो पानी का विवाद है इसको सर्वोपरि रखकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए ।

दूसरा जैसा कि सदन में ध्यान आकर्षित किया गया कि सरकारिया कमीशन बना हुआ है । एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या संबंध होगा, केन्द्र सरकार का राज्य से क्या संबंध होगा, इस संबंध में सरकारिया आयोग बैठा हुआ है लेकिन दो वर्ष से आज अधिक हो गये हैं बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आज तक राज्य सरकार की ओर से सरकारिया आयोग के पास प्रतिवेदन नहीं भेजा है, मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सरकारिया आयोग बैठा हुआ है और उसकी संस्तुतियां हमारे पास आने वाली हैं और उस पर विचार विमर्श के बाद जरूरी समझा जायेगा तो इस प्रकार के संशोधन विधेयक पर विचार किया जा सकता है इसलिए मेरी अपनी समझ से सरकार को इस संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहिए । पनिक्कर जी से मेरा आग्रह है--हालांकि मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि हमारा राष्ट्र एक रहना चाहिए, हमारी अखंडता मजबूत रहनी चाहिए--लेकिन फिर भी इस संशोधन विधेयक को उनको वापस ले लेना चाहिए क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और राज्यों के अधिकार कम होंगे ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, I congratulate Mr. Panicker for bringing this important Bill in this august House. It shows his patriotism. Water is the lifeline of a human being, it is a not a gift of any nation, it is a gift of nature, it is a gift of good and there cannot be any fight over the gift of God, that is what I think. The very existence of a human life depends on water and had it been in our arena, under the control of a human being, the man is so selfish that he would not have given a drop of water to others to drink. That is the tendency and that is creating problems in our country also. There are the problems of water distribution, problems of water management, problems of environment, problems of drought on the one side and floods on the other side. All of them are corelated to the existence of water.

Mr. Vice-Chairman, coming to water management, whatever water we get through rains only its 15 per cent is used for drinking, for crops, for animal drinking and the balance 85 percent is drainage away into the sea, ocean or gets evaporated. Only 4 per cent of water is used for agricultural purposes. That is the statistics of the utilisation of water. Even for the use of 4 per cent water for agriculture, there is a fight. Andhra is fighting

with Maharashtra, Maharashtra is fighting with Karnataka and Karnataka with Tamil Nadu. We are all aware of the dispute over Telugu-Ganga project. Every State is claiming for more share of water. First of all, there should not be fight at all over the use of water, and if it is there it would end if water is kept in the Concurrent List of the Constitution. From that point of view, my friend, Mr. Panicker has brought this Bill and I do not find any reason why our Opposition friends are very earnestly requesting him to withdraw this because there is already a provision. The provision is there. There are so many articles in the Constitution. In spite of these, we are fighting amongst ourselves. My friend, Dr. Ratnakar Pandey, who is a big pundit of Hindi, has expressed his views in the form of poetry in Sanskrit and Hindi. We know that Ganga is a pious river. We know Ganga maiya is the mother who has created this nature. But it is not Ganga alone; it is the water which flows through Ganga maiya which created this nature. That water come through Gangamaiya is a secondary thing which is not so important. What is more important is that where there is surplus water, it must be given for drinking to those people who do not get water at all. That is the important question. If we look to the map of India, we find in Rajasthan most of the area is a desert area. There is no water there. When we go to Gujarat, there also 25 per cent of the area is almost a desert. There is no water there. When we look to Maharashtra, 91 taluks come under the permanent drought zone. That means, which get rains once in 10 or 12 years. In coastal areas, Konkon and some tropical areas like Marathwada and Vidarbha, we let sometime good quantum of water. The rainfall in Maharashtra varies from 5 inches to 300 inches. When we go to Ratnagiri, when we go to Bombay, when we go to Konkon, we have ample rainfall. And all this water which we receive from rainfall is washed away and it goes into the ocean. It is not useful at all. What is to be done now? If we want to bring out some important projects, then the other States come up and say, "that much water should not be given to Maharashtra". Maharashtra says that water should not be given to Gujarat, and like that. Even Dr. K. L. Rao, a very learned Minister of the Central Government who came from Andhra Pradesh, suggested one scheme for linking of rivers -- that Ganga should be linked with Cauvery. There is also the feeling among the North Indian people that if Ganga water goes to the Southern States, they will have shortage of water. When the Himalayas are giving you water, when God is giving you water, where is the question of shortages of water? The only question is that we must make better use of water. If we do not feel about that, then we have to accept the biggest project of linking the Ganga with the Cauvery. Then and then only we are going to solve not only the problem of agriculture, but we are going to solve the problem of environment, we are going to solve the problem of water transport, we are going to solve the problem of drought. So from that point of view, the Biil which has been brought by my friend is most welcome and there is nothing wrong in keeping this subject in the Concurrent List, because if it comes under the purview of the Centre, there may not be any dispute and if disputes are there, the Central Government is fully authorised to decide how to make use of projects like that.

Now the other thing is that we think about drought and floods. We have been facing droughts and floods for the last 40 years since Independence. In pre-Independence era, there was no planning under foreign rule. After Independence also, till today, we are facing drought and floods in one part or the other in our country and human life, animal life and our agricultural crops are getting completely washed away or destroyed. So if this problem is to be solved, it is very necessary that we must have concrete answer as to how to solve this problem of water management, we must know how to make use of water. Because water is a gift of God, so from that point of view I request that this Bill should be accepted.

Now I come to my State. I will not take much of your time. Within two or three minutes I will complete my speech.

[Shri Vithal Rao Madhav Rao Jadhav]

So many irrigation projects are lying with the Central Government, and the Central Water Commission also, for sanction. From Maharashtra itself there are 42 irrigation projects pending with them and I do not know why they are not being sanctioned. You have made the water survey, you know how much ground water is there, you know the catchment areas of the rivers, you know what is the capacity of each project—everything is available—but in spite of that the projects are lying with the Central Government for a number of years now, for their clearance.

Sir, if we do not spend a large amount now on water, we are again going to face a grim situation in the future also as we are facing today. Therefore, I request the Minister of Water Resources, through you, to please make out some concrete plan within three years. By the end of the Seventh Five-Year Plan, whatever ongoing irrigation projects are there in the country should all be completed without fail, with whatever the about required is. If we spend more money on water, it will generate more wealth by way of agriculture, by way of power, by way of fisheries, by way of so many other things and it will maintain the environmental balance also. So, that is my earnest request.

Sir, another thing is the linking of rivers. In so many countries the rivers have been linked. Water not only for supply to agricultural crops but also as a means of transport, is very important. While reading the history as to how the British came to India, I happened to know that they came to Delhi from Calcutta via the Ganga and other water transport systems. It is through water transport that they came to our country. At that time there were no railways, no pucca roads, nothing of that sort. Water trapsport was the only way of transport then. So, water transport system, which is very old, must be properly encouraged and it must be developed because water transport is very easy and very cheap.

Sir, through this House I request the Government of India that whatever other charges they may levy from the farmers, they should not charge a single paisa from them for water for irrigation purposes. You invest whatever amount is required on the irrigation projects and that amount will be reimbursed through increased agricultural production. Water is the gift of God and you should not charge anything for that because you have not brought it from somewhere. It is God's gift. If charges are levied for water today, tomorrow you may charge for air and sunlight also. So, it is not necessary. We can have other levies but, as far as irrigation water for farms and farmers and for drinking purposes, no charges should be levied. That is my view about this.

With these few words, Sir, I conclude my observations.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam): Sir, I heartily congratulate my honourable friend, Mr. Panicker, for his Bill on this very important subject.

Sir, I had the privilege of being a Member of the Estimates Committee when Dr. K. L. Rao was the Chairman of that Committee and all the time Dr. Rao used to tell me that the rivers—which have been mentioned by the honourable Member who spoke just now—and the Brahmaputra should be controlled and utilized specially for the purposes of power generation and unless that was done we could not develop our country. In his wisdom he submitted a report to the then Prime Minister and I had the privilege of accompanying Dr. Rao to the Prime Minister. He kept us with him for about an hour. He was interested in it and he told us that it was a very good project. But, after him so many problems cropped up; the river waters problems also cropped up. Though Mrs. Gandhi had a mind, the stage of materializing the project did not come. The honourable Minister for Water Resources is not here. Otherwise I could have suggested to him the formation of a Board. The other day I had put a question to the Water Resources Minister whether there was a plan to control the Brahmaputra. He at once said, rather insultingly—He is junior to me in age; I think I should not use that word—that it was only imagi-

nation. Sir, it is not just imagination. It is a practical project; it is a programme. Now you are spending crores and crores of rupees on drought, for temporary relief. You may spend money for sometime for temporary relief. But it is not a permanent one. Now you have to spend for Assam. Every year floods are there, If you go there, you will see that all the villages are under the water which is just like a sea. You can visit in some boat. I have had the privilege of visiting all the places. We feel that our people are suffering everywhere. So, if you control this river the Brahmaputra, then, it will solve the problem not only for India, but international problems also.

I have nothing to say about the Bill introduced, whether it should be accepted or not to be accepted. It is up to the Hon'ble Law Minister.

But the Brahmaputra must be controlled. If not, then, Assam will not be safe. Every year we have to spend crores and crores of rupees on floods. There was a project to link the Brahmaputra with the Ganga. That was in the eyes of the Government. It was suggested by Dr. K. L. Rao. But it has been shelved for good.

I should not say a strong word. This is our Government, the Congress Government. But I want to request only one thing. We should see where to spend more money and where to spend less money. If you spend money in consultation with the Government of China, internationally if it is accepted, then, we should not think of it only as a problem of our nation. The Chinese Government has got so much of expertise. I have not gone to China, it is a country I have not visited. I have visited almost all the countries except China. Hongkong is half China. Seventy-five per cent of the population of Hongkong is Chinese. It is they who say about the Brahmaputra project. This is the only river, the Brahmaputra, which has a masculine name. Masculine, why is it?

SHRI BAHARUL ISLAM (Assam): Masculine river.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Masculine river. Here, in our Bodu language which has ruled for so many years, thousands of years, we do not call it "Brahmaputra", but we call it "Bulum Bhuter". It is a wide river like a "sagar" like a sea. If we prepare a project in consultation with the Chinese Government, they will also forget the trained relations, our strained relations may also soften, just as we have solved our problem with Sri Lanka. Sri Lanka had very strained relations with us, but our youthful Prime Minister, in his wisdom, has solved this—nobody expected that there would be such a compromise between India and Sri Lanka—and saved the lives of the Tamil people. Therefore, I request the Government of India just not to satisfy the people temporarily. Make a project which wil give a permanent solution. You need not spend crores and crores of rupees of money whenever droughts and floods come.

What is drought? We have not got power in India. We could have been able to draw water through lift wells. We have not been able to put up lift wells or diesel pumpsets. Therefore, there is so much drought. When there is drought, we have to spend crores of rupees. It is not possible to spend just on drought. How will we do it? We have seen on the TV a serial which is a laughing stock. It is a small project. Water is poured in the drought area. By this you cannot solve the problem of drought. My suggestion to the Minister, though I do not know whether he would accept it or not, is to remember that there should be an international project to control the Brahmaputra, and it will give power and life to the whole of India, not only India but China also. So my suggestion to the Government of India is, they should take up big projects instead of small projects. We have got enough experts, Scientists and Technologists. Otherwise we could not have developed so much within 40 years of our independence. These 40 years is nothing for the life of a nation. It is a very small period. I have visited almost all the developing countries but no country has developed so much as India has developed. Who has developed it? It is not

Ministers, M.Ps. and M.L.As. but our Scientists, Technologists, Engineers and other experts did it. Our bureaucrats also helped us. After our independence we used to have I.C.S. officers and they used to help us. Once Pandit Jawaharlal Nehru has also said that these I.C.S. officers are more efficient, loyal and sincere than our own men. Pandit Nehru had cordial relations with almost all the international leaders including China. I had the privilege of meeting Pandit Nehru in those days. I am not expressing myself that I am so popular. It is not that. But I must tell you that you must be very serious about big projects and how to develop it. Our Prime Minister alone cannot do it. There should be some good officer or Adviser who can help to develop it. I do not say that our Ministers are not competent. They are competent but sometimes they are misled. So I suggest that this Brahmaputra project must be taken not for Assam alone but for the whole of India and in the interest of China also. We should develop good relations with China and we should discuss about this project with them which is of common interest to both of us. Thank you.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सम्मानित साथी श्री वासुदेव पानिकर द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सामयिक है । जहां भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की जाती रही है वहीं 'जल' के विवाद पर भी भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की जा रही है और अन्तर्राज्यीय तनाव उत्पन्न किया जा रहा है । अतः मेरी मान्यता हैं कि जहां यह विधेयक देश को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक होगा वहीं जल संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रबंध व व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगा ताकि समूचे भारत देश में जल का उचित वितरण हो सके ।

माननीय, आज से दो हजार वर्ष पूर्व तमिल के संत कवि ने सुप्रसिद्ध कविता संग्रह "पुरनानरू" में राजा को नसीहत देते हुए कहा था; "अपने राज्य की घाटियों में विपुल मात्रा में जल संग्रह करो । जल संग्रह करने में जो विफल होंगे वे अपनी कीर्ति को अक्षुण्ण नहीं रख सकेंगे ।" इस कथन का महत्व आज भी कम नहीं हैं । मेरे साथी आदरणीय पांडे जी ने "बिन पानी सब सून" वाली कहावत को उद्धृत किया हैं। निस्संदेह पानी देश की जनता की बुनियादी आवश्यकता है । आज पानी का यदि सही उपयोग किया जाए तो वह कल्पवृक्ष की तरह मनोवांछित फल दे सकता है । जल संसाधनों के विकास व उपयोग के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे कार्यक्रमों में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, परंतु हमारी कई महत्वपूर्ण योजनायें क्षेत्रीय विवादों के कारण अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। अतः अब यह समय आ गया है कि हम एक सुस्पष्ट नीपित तय करें ताकि जल का समुचित उपयोग हो सके । इसके लिए राजनीति व क्षेत्रीय दबावों से मुक्त रहकर शुद्ध राष्ट्रहित व जनहित की दृष्टि अपनानी होगी ।

जल को राष्ट्रीय संपत्ति मानने और सिंचाई की राष्ट्रीय नीति बनाने से स्वाभाविक तौर पर केन्द्रीय सरकार की भूमिका अंतर्राज्यीय योजनाओं के विकास व संचालन में बढ़ जाती हैं और इसके लिए तर्कपूर्ण रास्ता संविधान में संशोधन तथा जल को समवर्ती सूची में डालना हैं ।

माननीय, जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन के क्षेत्र पर प्रशिक्षण योजना को आवश्यक माना गया है चूंकि विभिन्न राज्य जल संसाधन क्रिया-कलापों के अलग-अलग चरण में हैं और जिसकी वजह से प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त सुविधाओं में अंतर है। अतः राष्ट्रीय

कार्यक्रम प्रशिक्षण पूर्ति के लिए बनाया जावे, ऐसा महसूस किया गया है और इसके लिए जरूरी है कि इसे समवर्ती सूची में डाला जावे । परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन व उन्हें स्वीकृति में बहुत समय लगता है । सितम्बर 1986 में राज्यों के सिंचाई सचिवों की बैठक हुई, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि सिंचाई परियोजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करने में विलंब का कारण परियोजना की तैयारी में कमियां हैं । अतः मेरी राय से यदि जल समवर्ती सूची में आ जावेगा तो इस कमी से मुक्ति मिलेगी । यह बात नई नहीं हैं बल्कि यह पुरानी फाइल से जिन पर धूल पड़ गई हैं, निकली है

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ जल को राज्य का विषय बनाया गया हैं । वर्तमान में अंतर्राज्यीय विवादों में इन राजनैताओं ने जिस प्रकार जनता की भावनाओं को भड़काकर अपने निजी मकसद के लिए हालातों को जटिल किया है, यह सर्वविदित हैं । विशेषज्ञों का काम इन विषयी राजनैताओं ने अपने हाथों में ले लिया है । देश में आज यही सब से बड़ा खतरा है । राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य किसी भी नदी जल का सबसे उत्तम व अधिकतम उपयोग करने की दिशा देना हैं, ऐसी मेरी मान्यता है ।

मान्यवर, जल संसाधन मंत्रालय का नवीन 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत, सूत्र 3 से गहरा संबंध है । जो कि "सिंचाई जल का बेहतर उपयोग है । राज्य सरकारों को जल जमाव, अलाभकारी उपयोग को रोकना, जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास और बेसिनों व डेल्टाओं में जल निकास में सुधार, सतही व भूजल के उपयोग में समन्वय स्थापित करने के लिए जो परिपत्र राज्यों को भेजे गए थे उनका परिपालन ठीक नहीं हो पाया । इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे समवर्ती सूची में रखा जाए । अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाना एक अहम सवाल हैं । इस दृष्टि से भी इसको समवर्ती सूची में रखने से इनके निपटारे में मदद मिलेगी ।

मान्यवर, कैप्टन दस्तूर ने एक किताब में अपना मंतव्य जाहिर किया था कि "गारलेड कैनाल" होनी चाहिए जो कि हिमालयन फुट-हिल्स से गुजरेगी और इन्हें समान कैनाल्स में कर्वर्ट करेगी । इस पर भी विचार करना काफी उपयोगी कदम होगा , ऐसा मेरा विचार है क्योंकि यह हमारी वाटर मैनेजमेंट प्राबलम को दूर करेगा । माइक्रो लेवल पर तथा विलेज लेबल पर हमें रिजर्वायर व फीडर कैनाल की आवश्यकता होगी ।

मान्यवर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है । कृषि उद्योग व यातायात के क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाना बहुत जरुरी है । और भी जरूरी यह है कि हम राज्य सूची से समवर्ती सूची में जल को लावें ताकि केन्द्र सरकार बगैर देर के इन नीतियों का क्रियान्वयन कर सके । चूंकि कई नदियां कई राज्यों से गुजरती हैं, अतः जल को समवर्ती सूची में लाने से अंतर्राज्यीय तनाव भी समाप्त होगा और सूखे व बाढ़ से निपटने में भी इससे केन्द्रीय सरकार को मदद मिलेगी । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह संभव नहीं हैं । अतः मेरा निवेदन है कि जल को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाए । इन शब्दों के साथ पनिकर जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी मित्र पनिकर जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया

[श्री मीर्जा ईशाद बेग]

है उसकी भावना और उद्देश्यों का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, जैसा कि अभी बताया गया किन कारणों से, किस भावना के अन्तर्गत इस विधेयक को माननीय सदस्य ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया । संविधान के एक फिलोस्फर ने जो एक बात कही थी वह आज सदन के सामने रखने का मन हो रहा हैं । उन्होंने यह कहा कि जब पानी भरने के लिए घड़े को डोरी से बांध कर कुए में डाला जाता है तब वह घड़ा खाली होता है । जैसे ही उसमें कुएं का पानी भर जाता है वह नीचे की ओर जाता है । लेकिन पानी घड़े में होने के बावजूद रस्सी जब खींची जाती हैं वहां तक जहां तक उस घड़े की अपनी सतह हैं उसमें पानी नहीं जा रहा है वहां तक खींचने वाले को उसका वजन नहीं लगता । फिलोस्फर ने आगे कहा हैं कि पानी की सतह उस घड़े ने छोड़ दिया तो जितनी मात्रा पानी की है और जितना वजन घड़े का हैं वह सभी वजन ऊपर खींचने वाले को महसूस होता हैं। यह इसलिए लगता हैं क्योंकि जितना घड़े में पानी जमा है उसमें स्व: की भावना आ गयी । जब स्व : की भावना आ जाती है तो स्व: का जो वजन है, स्व: का जो भार हैं वह भार भी घट में आ जाता हैं । मान्यवर सदस्य ने जो प्रस्तुतिकरण यहां पर किया हैं उसमें भी यही भावना है । नर्मदा योजना जो कि सबसे अच्छी योजना थी, मध्य प्रदेश ने कहा कि सबसे अच्छी योजना है, गुजरात ने कहा सबसे अच्छी योजना है, राजस्थान और महाराष्ट्र ने कहा यह सबसे अच्छी योजना हैं ; सैकड़ों एकड़ जमीन, लाखो हैक्टेयर जमीन उसकी सिंचाई के अन्तर्गत आ जाती है लेकिन इसके बावजूद 3-4 राज्यों में यह झगड़ा रहा और 22 साल के पश्चात् आज राजीव गांधी के नेतृत्व की वजह से इस झगड़ का निपटारा हो सका है।

मान्यवर, सवाल यह है जैसा मट्टू साहब ने कहा वर्तमान हमारे जो लाज हैं, हमारा जो कांस्टीट्यूशन हैं, संविधान है उसमें सब बातें होने के बावजूद भी आज हमारी जो योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं, बांध की योजनाएं वे सब आज भी पीछे चली जाती हैं जिसकी वजह से देश के लोग, देश की जनता और देश की जो क्राप है, देश की जो फसल हैं, जो सिंचाई व्यवस्था है उसको उससे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है । इसी वजह से यह बिल माननीय सदस्य ने प्रस्तुत करने का प्रयोजन किया । मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कहा गया पंजाब में जो प्रोब्लम हैं वह भी उसके कारण है । दूसरी योजनाए जो भी थोड़ी बहुत चल रही हैं, मैं चाहता हूं देश में एक नया विचार आये और यह भी मैं समझता हूं पनिकर जी देश के समक्ष एक नया विचार लाये । संविधान को बनाने वालों ने जब संविधान बनाया तब उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान कोई जड़ संविधान नहीं हैं । जैसे-जैसे समय की आवश्यकता हो वैसे-वैसे इस संविधान में इसकी धाराओं में लोच आ सकती हैं, इसमें तबदीली आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है । माननीय सदस्य मालवीय जी कह रहे थे कि उन को इन्दिरा जी का और राजीव जी का नाम लिये बगैर चैन नहीं पड़ता । चैन क्यों न पड़े । वजह उसकी है । सबसे पहले पानी की इतनी आवश्यकता, पानी की इतनी गम्भीरता को समझ कर प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने वाटर रिर्सोसेज का एक अलग डिपार्टमेंट हिन्दुस्तान में कायम किया है । देश का जो जल है उस जल की सही मात्रा में उपयोग, उसके उपयोग का सही ढंग जब तक मालूम नहीं होगा तब तक जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंच सकता ।

मान्यवर, इसीलिए मैं बधाई देता हूं। मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा अभी पिछले वर्ष अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने पूरे वर्ल्ड, का समग्र विश्व का एनालिसिज किया हमारा सब-सोइल वाटर कहां है, उस समिति का निष्कर्ष यह था कि आने वाले 20 वर्षों के अंदर शायद हमारा यह सब-सोइल वाटर जो है इसकी एक बूंद भी जगत के सामने नहीं रहेगी। इसलिए आज आवश्यकता है कि पानी की समस्या को हम गम्भीरता से ले और उसका इस्तेमाल गम्भीरतापूर्वक करें। उसका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करें। पीने के लिए पानी के साथ उसका सिंचाई के लिए उपयोग हो, इसकी हम व्यवस्था करें।

जब पानी से संबंधित कुछ बातें आती हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का नेतृत्व बड़ी गम्भीरता से इस पर सोचता है। इतना ही नहीं उसने योजनाएं भी प्रस्तुत की हैं। उसने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत सही मात्रा में पानी का उपयोग करने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए थोड़ा खेद होता है कि सात या आठ जल परिवहन की जो योजनाएं हैं और जिनके बारे में भगवती समिति ने भी कुछ सिफारिशें की थीं और उसमें गुजरात की भी दो वाटर-वे योजनाएं, जल परिवहन की योजनाएं हैं, उनका सातवीं योजना में समावेश नहीं किया गया है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों पर भी जल परिवहन की व्यवस्था करने की योजना थी। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि प्रारम्भ में तो इन योजनाओं को मान लिया गया था, लेकिन सातवीं योजना में इनका समावेश नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इन दो जल परिवहन योजनाओं का सातवीं योजना में समावेश किया जाएगा और यह देश के भाग्य के लिए और देश के हित के लिए अच्छी बात होगी।

राष्ट्र की प्रगति के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम का नया रूप रखा गया है। उसके तीसरे सूत्र में जल संसाधनों को जोड़ा गया है। इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको कार्यान्वित भी किया जा रहा है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी आपूर्ति छठी और सातवीं योजना में की जाएगी। हम आशा करते हैं कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वे जन-जन तक पहुंचेंगी।

मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि जब बाढ़ आती है, तो उसको रोकने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। नर्मदा नदी की बाढ़ को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे अत्यन्त सराहनीय हैं। इस पानी को रोका ही नहीं गया है बल्कि उसके लिए सराहनीय कदम भी उठाये गये हैं। इससे जो बर्बादी होती थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। इस वक्त पूरा देश सूखे की चपेट में है। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो कदम उठा रही है उससे हमारे देशवासियों का लाभ होगा। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी यह अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि इस पर यह सदन गौर करेगा और हमारी जनता भी इस पर गौर करेगी। नये परिवेश में, नई मांगों के परिवर्तन में हम संशोधन करते जाएंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार कदम उठाते जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो यह संविधान विधेयक है, उसकी जो भावना है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं.... (**व्यवधान**) मैं जब बोलता हूं तो किसी के दबाव में

(श्री राम अवधेश सिंह)

नहीं बोलता हूं और मेरी आदत भी नहीं है । मैं अपने चिन्तन से बोलता हूं । इस संशोधन की जो भावना है कि पूरे देश का विकास हो, पूरे देश में विकास की गति तेज हो, इससे मैं सहमत हूं । मैं इस भावना का आदर करता हूं । लेकिन जो पीछे का अनुभव है, उस अनुभव से लगता है कि दाल में कुछ काला है । सरकार चाहती है कि धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट का जो फैडरल स्वरूप है, सरकार का जो संघीय स्वरूप है, उस स्वरूप को खत्म किया जाये और नये रूप में इसको पेश किया जाय, ताकि वह आकर्षक लगे । उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तीन मिनट का टाइम दिया है इसलिए मैं थोड़ी अपनी बात ठीक से नहीं कह पाऊंगा । लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई योजनायें जो बनी हैं, केन्द्र के तहत आज तक जितने प्रोजेक्ट बने हैं, चाहे भाखडा नांगल योजना रही हो चाहे हीराकुड योजना रही हो, जितनी भी योजनायें भारत सरकार ने बनाई हैं और आज भी जितनी बन रही हैं, प्लानिंग कमीशन द्वारा, वाटर कमीशन द्वारा केन्द्र में जो भी योजना बनती हैं, मुझे लगता है कि उस पर सब दृष्टियों से विचार नहीं किया जाता । अगर उनका मन हो कि विकास वाला काम करें तो बात ठीक है। लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उसका आगे क्या स्वरूप होगा। हमारे यहां बिहार का उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं । वहां पर दुर्गावती योजना है, करमचट योजना है, कोयल प्रोजेक्ट है, सोन का पुनर्निमाण का कार्य है, ये सब केन्द्रीय सरकार के तहत हैं । जो करमचट योजना है उसमें इस समय करीब करीब चार सौ करोड रुपए की जरूरत है, इमीडियेट, तत्काल लेकिन मिलता कितना है कभी चार करोड़ रुपए, कभी 5 करोड़ रुपए, कभी 10 करोड़ रुपये । इससे उस प्रोजक्ट की कास्ट बढ जाती है और जो हमारी स्थिति है वह बिगड़ती जाती है । इसी तरह सोन प्रोजेक्ट है । जो आदमी दिल्ली पर हावी हो जाएगा ; जो सूबा दिल्ली के जो मुख्त्यार लोग हैं उनकी नकेल कसने की स्थिति में रहेगा उसको तो तुरन्त दे देंगे, उनका काम कर देंगे । लेकिन जो राज्य और जो नेता ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे, उनका काम नहीं होने वाला है । जो सैन्ट्रलाइजेशन आफ पावर हो गया है, मैं पोलिटिकल पावर की बात कर रहा हूं उसमें कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं रह गया है जो उनके सामने बोल सके । पहले जो मुख्य मंत्री होते थे उनका चुनाव होता था लेकिन अब नामिनेशन हो रहा है । नामिनेटिड चीफ मिनिस्टर की हैसियत ऐसी नहीं रह गई है कि वह आकर सैन्टर से कहे कि हमें भी हमारा ड्यू हिस्सा दो । किसी जमाने में मुझे याद है, बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह सिन्हा थे और देश के इतने बडे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको फोन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं । तो उन्होंने कहा कि रूक जाइये टेलीफोन पर मैं जरा डायरी देख लेता हूं । उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन इंगेज हूं और कहा कि आठ दिन बाद मैं मिलुंगा । लेकिन आज राजीव जी, खुद नहीं, उनका भात पकाने वाला भी अगर टेलीफोन करेगा और चीफ मिनिस्टर * * * दिल्ली आ जायेंगे । आज यह स्थिति हो गई है । सूबे का मुख्य मंत्री ऐसी स्थिति में ... (**व्यवधान**) ...

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : आपको क्या तकलीफ है ....(*Interruptions*)... Sir, he should be asked to be relevant.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : आप बिल पर बोलें तो अच्छा रहेगा । (**व्यवधान**)

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप खत्म कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं स्टेट और केन्द्र के रिलेशन की बात कर रहा हूं । ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप खत्म कीजिए ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप क्या जाने हमारी रियलिटी .....

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आपकी रियलिटी जानता हूं ...(**व्यवधान**)..

श्री पवन कुमार बांसल (पंजाब) : कांग्रेस की स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस और डैवलपमेंट हो रही है ।...(**व्यवधान**)... अपना अपना हक सब मांगते हैं और लेते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has just now given his name. Even then I gave him three minutes. I have accommodated him.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं । मैंने शुरू में कहा कि इस बिल की भावना का स्वागत करते हुए मुझे डर लगता है चूंकि पोलिटिकल पावर का कन्सेंट्रेशन हो गया है । जब पोलिटिकल पावर का कंसेंट्रेशन हो जाए और सूबाई सरकारों की स्थिति चूहे जैसी हो जाए जब चाहे खा लिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें डर लगता है कि हम जो पावर उसको देंगे संविधान में तो जो राज्य मजबूत होगा जहां के लोग नकेल पहनाने की स्थिति में प्रधान मंत्री या दिल्ली की हकूमत को होंगे वहां तो हिस्सा मिल जाएगा वहां विकास हो जाएगा ; लेकिन जहां की स्थिति ऐसी नहीं होंगी जैसे बिहार के अन्दर सब से अधिक खनिज सम्पदा है लेकिन सारे देश से कम पर केपिटा इनकम बिहार की है । हम इन लोगों को सबक सिखाने की स्थिति में भी नहीं हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल पर पुनः विचार करने के लिए हमारे साथी इसे वापिस ले लें औरनयी स्थिति में सब को साथ ले कर विधेयक को लाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Minister will now reply.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: For expunction, every word need not be expressly unparliamentary. But there has to be decency in the words used. Kindly expunge the derogatory words and references.

श्री राम अवधेश सिंह : नकेल पहनान कोई ऐसी बात नहीं है ...(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बांसल : उससे पहले आप क्या बोल रहे थे ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वह अच्छा नहीं लगता है और कुछ नहीं ।

श्री पवन कुमार बांसल : मुझे तो शर्म आती है जैसा कि वे बोल रहे थे ।

श्री राम अवधेश सिंह : आपको तो शर्म आएगी (**व्यवधान**) ।

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, today, under the existing constitutional provisions relating to water, the primary responsibility for the development of water resources rests with the States. Entry 17 has been referred to. Entry 56 of List I was also referred to. Article 246(1) of the Constitution was also referred to by various speakers. The hon. Member wants that Entry 17 in respect of List 2 should be incorporated in the Concurrent List. This is the proposed amendment which will give power to the Union in respect of a river situated entirely in the State. But I would remind the hon. Member who has moved this amendment that if he looks at Article 368(2), he will see that this amendment requires ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States. It means that this is a matter in which, before we can embark upon the possibilty of

an amendment, we must have the cooperation of the States. Under the constitutional provisions, this is given in List 2 and when something is given in List 2, we can do it by resorting to Article 249 also. That always requires the mutual cooperation of the States.

Sir, you have listened to various speakers and you have found that there is no unanimity of views on this matter. India is a quasi-federal State and the views of the State Governments are necessary, very important and relevant. There is obvious need for consensus and cooperation. There is no doubt that there is need for planning at the national level for optimum and equitable utilisation of country's water resources. There are circumstances where the water available, for some reasons, is much more. All that is required is a mutual co-operative attitude and co-operative efforts. The Central Government, from time to time, provides financial assistance not only for drought but also for flood relief. And one of the senior Members of this House reminded us how the floods in Assam bring devastation. The same water could be life-giving elsewhere. So, it is necessary that the Central Government and the State Governments should play an effective role with regard to the planning and monitoring of our water resources. This is where, Sir, the Ministry of Water Resources has been constituted by our Prime Minister. And a national body called the National Water Resources Council which is headed by the Prime Minister as Chairman, the Union Minister of Water Resources as the Vice-Chairman and Cabinet Ministers and Chief Ministers from various States as Members has been established. The Minister of Water Resources has all the details and I need not go into that. I would simply say that for such a thing which is given in the Constitution by the founding-fathers and in an atmosphere like this where the States are not prepared to part with some of their powers, with some of their provisions in the Constitution, the only effort, the only method is to work in a spirit of co-operation, work in accordance with the exigency of the situation, looking at the national horizon, national perspective. And that is where our country has never failed. Today, if you bring this Amendment, I am sure, there will be a lot of resistance, a lot of resentment from various States. Every body likes national consensus. But if we put through this Amendment, without the desire or the consensus of the States, it is bound to create complications and the desired result may not be achieved. With all this in mind, I would humbly submit that I have great sympathy for the objectives for which the Bill was moved. Speaker after speaker has emphasised it. When there is a national objective, everybody would like to support it. But the question that arises is whether only by a constitutional amendment such a thing can be achieved. We must explore all other possibilities. We must have a national debate on this issue. We can find ways and means. Still the same objective can be achieved without a constitutional amendment. In any case, if there is a constitutional amendment, whenever it is necessary, this House, *viz.* this Council of States, is competent under article 249 for some period to give power to legislate on a State subject, on a List II subject. So, I would request Panickerji to withdraw his Bill, and the sentiments expressed by him will be conveyed to the Minister of Water Resources, and I hope a national consensus will emerge on such an issue. Thank you, Sir.

SHRI K. VESUDEVA PANICKER: Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to disciss on this Bill. I am again grateful to all those friends, from both the sides, who participated in this discussion. Actually this discussion could throw much light on a question which is very important for national development, especially in the agrarian sector. I appreciate my learned friends on the other side—all of them—wo have also agreed with the purpose of the Bill though they had their apprehension on some other ground.

5.00 P.M.

I am extremely thankful to Prof. Lakshmanna, Shri Malaviyaji, Shri Matto

and Shri Ram Avadesh Singh for giving me their valuable suggestions. I am also very grateful to all the friends from this side who actively participated in this discussion and raised the standard of the discussion to a much higher level. I have only one submission before withdrawing on the basis of the request of the Hon. Law Minister and that is that this matter may be taken up with the concerned Minister, namely, the Minister for Water Resources.

Sir, I wish to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE DECLARATION AND PUBLICATION OF ASSETS AND LIABILITIES OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 1986

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the declaration and publication of assets and liabilities of Ministers and Members of Parliament and their family-members and for maters connected therewith, be taken into consideration."

The question was proposed.

STATEMENT BY MINISTER — Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 12th August, 1987, regarding Bofors contract.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): Sir, while speaking in this House on 12th August, 1987, on the Motion for the constitution of the Joint Parliamentary Committee in response to the questions raised by some Members, I had endeavoured to clarify the circumstances relating to the visit of Mr. Bradin, Vice-President of Bofors on 3rd July, 1987. Some misunderstanding seems to have been created in some quarters in regard to my aforesaid statement. The fact of the matter is that Mr. Bradin did not give any convincing indication that a delegation from Bofors' would be prepared to give information required by us in writing or verbally. This is borne out by the totality of my observations on this point on 12th of August, 1987, and this should set at rest all doubts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 17th August, 1987.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 17th August, 1987.